स्पेशल एज्युकेशन में माता-पिता और बच्चे के अधिकार

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नोटिस

इंडिवीड्युअल्स विद डिसएबिलिटी एक्ट (IDEA) के प्रावधानों के
अंतर्गत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की व्याख्या
और
द' कोलोराडो रूल्स फॉर द'एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द'
एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन्स एज्युकेशनल एक्ट (ECEA)

इंडिवीड्युअल्स विद डिसएबिलिटी एक्ट (IDEA), विकलांगता से पीड़ित विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित फेडरल कानून स्कूलों के लिए अनिवार्य करता है कि विकलांगता से पीड़ित बच्चे के माता-पिता को IDEA और यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन नियमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की पूरी व्याख्या सहित एक नोटिस उपलब्ध करवाएं। इा नाटिस की एक प्रति मात-पिता एक स्कूल-वर्ष में केवल एक बाद देनी चाहिए, उसके अलावा माता-पिता को एक प्रति देनी चाहिए: (1) मूल्यांकन के आरंभिक रेफरल या माता-पिता द्वारा मूल्यांकन का अनुरोध करने पर; (2) एक स्कूल वर्ष में पहली स्टेट शिकायत प्राप्त होने पर और पहली उचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त होने पर; (3) जब एक अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है जो प्लेसमेंट में बदलाव निर्मित करजा; और (4) माता-पिता के अनुरोध करने पर। [34 CFR §300.504(a)]

कोलोराडो डिपार्अमेंट ऑफ एज्युकेशन

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नोटिस
IDEA और ECEA प्रावधानों के अंतर्गत
संशोधित 07/01/11

विषय-सामग्री तालिका

सामान्य जानकारी 1
पूर्व लिखित नोटिस 1
मातृ भाषा 2
इलेक्ट्रॉनिक मेल 2
माता-पिता की सहमति - परिभाषा 2
माता-पिता की सहमति 3
निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन 5

सूचना की गोपनीयता 6
परिभाषाएं 6
व्यक्तिगत पहचान योग्य 7
माता-पिता को नोटिस 7
पहुँच के अधिकार 7
पहुँच करने के रिकॉर्ड 8
एक से अधिक बच्चों के रिकॉर्ड 8
सूचना के प्रकार और स्थानों की सूची 8
फीस 8
माता-पिता के अनुरोध पर रिकॉर्ड में संशोधन 8
सुनवाई के लिए अवसर 9
सुनवाई प्रक्रियाएं 9
सुनवाई का परिणाम 9
व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति 9
सुरक्षा उपाय 10
सूचना नष्ट करना 10

स्टेट शिकायत प्रक्रियाएं 10
उचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत और स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं में अंतर 10
स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं का अंगीकरण 11
न्यूनतम स्टेट शिकायत प्रक्रियाएं 11
एक शिकायत दर्ज करना 12

उचित प्रक्रिया शिकायत प्रक्रियाएं 13
एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करना 13
उचित प्रक्रिया शिकायत 13
उचित प्रक्रिया शिकायत और सुनवाई लंबित रहने के दौरान बच्चे का प्लेसमेंट 15
मॉडल फार्म 15
मध्यस्थता 16
समाधान प्रक्रिया 17

उचित प्रक्रिया शिकायतों पर सुनवाई 19
निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई 19
सुनवाई के अधिकार 20
सुनवाई के निर्णय 20
निर्णय की अंतिमता 21
सुनवाईयों और समीक्षाओं की समयसीमाएं और सुविधा 21
सिविल एक्शन, समय अवधि सहित जिसमें उन वादों को दर्ज किया जाए 22
अटॉर्नी की फीस 22

विकलांग बच्चों को अनुशासित करते समय प्रक्रियाएं........24
स्कूल अधिकारियों के प्राधिकार........24
अनुशासनात्मक निष्कासन के कारण प्लेसमेंट में बदलाव........26
परिवेश का निर्धारण........27
अपील (त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाएं)........27
अपीलों के दौरान प्लेसमेंट........28
बच्चों के लिए सुरक्षा जो अभी स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं के लिए पात्र नहीं हैं........28
कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकारियों को रेफरल और उनके द्वारा कार्रवाई........29

माता-पिता द्वारा सार्वजनिक व्यय पर बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में एकपक्षीय प्लेसमेंट की शर्तें........30
सामान्य........30

माता-पिता के लिए संसाधन

सामान्य जानकारी

<u>पूर्व लिखित नोटिस</u>
34 CFR §300.503

नोटिस

प्रशासनिक इकाई[1] या स्टेट संचालित प्रोग्राम[2] द्वारा आपको लिखित नोटिस देना चाहिए (आपको लिखित रूप में विशेष जानकारी प्रदान करें), जब भी यह:

1. आपके बच्चे के पहचान, मूल्यांकन या शिक्षा संबंधी प्लेसमेंट को आरंभ या परिवर्तन करना, या आपके बच्चे के लिए एक नि:शुल्क उचित पब्लिक शिक्षण (FAPE) के प्रावधान प्रस्तावित या प्रारंभ करता है; **<u>या</u>**
2. आपके बच्चे के पहचान, मूल्यांकन या शिक्षा संबंधी प्लेसमेंट को आरंभ या परिवर्तन करने, या आपके बच्चे के लिए FAPE के प्रावधान करने से इंकार करता है।

नोटिस की विषयवस्तु

लिखित नोटिस में होना चाहिए:

1. कार्रवाई का विवरण जिसे प्रशासनिक इकाई[3] प्रस्तावित या करने से इन्कार करती है;
2. स्पष्ट करना कि प्रशासनिक इकाई कार्रवाई करना क्यों प्रस्तावित या इन्कार करती है;
3. प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रिया, आकलन, रिकॉर्ड या रिपोर्ट का वर्णन जिसे प्रशसनिक इकाई ने कार्रवाई प्रस्तावित या इन्कार करने के लिए इस्तेमाल किया है।
4. एक ब्यौरा शामिल हो कि आपको इंडिवीड्युल विद डिसएबिलिटी एक्ट (IDEA) के पार्ट B के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्राप्त है;
5. आपको बताता है एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रशासनिक इकाई जो कार्रवाई प्रस्तावित या इन्कार करती है वह मूल्यांकन के लिए आरंभिक रेफरल नहीं है;
6. आपके लिए संसाधन शामिल हों जो आपको IDEA के पार्ट B को समझने में सहायता के लिए संपर्क कर सकें;
7. किसी अन्य विकल्पों का विवरण हो जिस पर आपके बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम (IEP) टीम ने विचार किया हो और कारण कि वे विकल्प क्यों अस्वीकार कर दिए गए; **<u>और</u>**
8. अन्य कारों का एक विवरण प्रदान करे कि प्रशासनिक इकाई ने कार्रवाई करना क्यों प्रस्तावित या इन्कार किया था।

समझने योग्य भाषा में नोटिस

नोटिस होना चाहिए:

1. ऐसी भाषा में लिखा गया हो जो सामान्य लोगों के समझने योग्य हो; **<u>और</u>**
2. आपकी मातृ भाषा या आपके इस्तेमाल होने वाले संप्रेषण के अन्य रूप में प्रदान की जाए, जब तक ऐसा करना स्पष्ट रूप से संभव नहीं हो।

---

[1] एक प्रशासनिक इकाई का मतलब एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड ऑफ कोऑप्रेटिव सर्विसेज, या स्टेट चार्टर स्कूल इंस्टीट्युट जो असामान्य बच्चों को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है।
[2] स्टेट संचालित प्रोग्राम का मतलब एक अनुमोदित स्कूल प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट द्वारा सुपरवाईज होता हैं और कोलाराडो स्कूल फॉर डीफ एण्ड ब्लाइंड, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन्ज, या डिपार्टमेंट ऑफ हयुमन सर्विसेज द्वारा संचालित होता है, इनमें शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, फोर्ट लोगान और प्यूबलो में डिविजन ऑफ यूथ करेक्शन्ज एण्ड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्युटस।
[3] इस दस्तावेज के उद्देश्य से जब भी शब्द "प्रशासनिक इकाई" (एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट) उपयोग हुआ है इसका मतलब स्टेट संचालित प्रोग्राम भी है।

यदि आपकी मातृ भाषा या संप्रेषण का अन्य रूप एक लिखित भाषा नहीं है; प्रशासनिक इकाई को सुनिश्चित करना चाहिए कि:

1. नोटिस को आपके लिए आपकी मातृभाषा में अन्य माध्यमों से या संप्रेषण के अन्य रूप में मौखिक रूप से अनुवाद किया गया था;
2. आप नोटिस की विषयवस्तु समझते हैं; **<u>और</u>**
3. लिखित साक्ष्य हैं कि 1 और 2 पूरे किए गए हैं।

<u>मातृभाषा</u>
34 CFR §300.29

मातृभाषा, जब एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाए जिसकी अंग्रेजी भाषा में कुशलता सीमित है; इसका निम्नलिखित अर्थ है:

1. उस व्यक्ति द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, या, एक बच्चे के मामले में उसे बच्चे के माता-पिता द्वारा सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा;
2. बच्चे के साथ सभी संपर्क में (बच्चे के मूल्यांकन करने सहित), बच्चे के द्वारा घर या सीखने के वातावरण में सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा।

बहरेपन या अंधता से पीड़ित व्यक्ति; या ऐसे व्यक्ति जिसे लिखित भाषा का ज्ञान नहीं है; संप्रेषण का माध्यम वह होगा जो वह सामान्य रूप से इस्तेमाल करता है (जैसे साइन लैंग्वेज, ब्रेल, या मौखिक संप्रेषण)।

<u>इलेक्ट्रॉनिक मेल</u>
34 CFR §300.505

यदि प्रशसनिक इकाई माता-पिता को दस्तावेज ईमेल से प्राप्त करने की पेशकश करती है तो आप निम्नलिखित को ईमेल से प्राप्त करने का चुनाव कर सकते हैं:

1. पूर्व लिखित नोटिस;
2. प्रक्रियात्मक सुरक्षा नोटिस; **<u>और</u>**
3. एक उचित प्रक्रिया शिकायत से संबंधित नोटिस

<u>माता-पिता की सहमति - परिभाषा</u>
34 CFR §300.9

सहमति का मतलब है:

1. आपको उस कार्रवाई के बारे में जिसके लिए आप सहमति प्रदान कर रहे हैं समस्त जानकारी को आपकी मातृ भाषा या सम्प्रेषण के अन्य रूप में (जैसे साइन लैंग्वेज, ब्रेल या मौखिक संप्रेषण) पूरी तरह सूचित कर दिया गया है;
2. आप समझते हैं और लिखित रूप से सहमत हैं कि कार्रवाई, और उस कार्रवाई को वर्णित करने वाली सहमति और सूचीबद्ध रिकॉर्ड (यदि कोई है), उसे संबंधित व्यक्ति को जारी कर दिया जाएगा;
3. आप समझते हैं कि आपकी सहमति स्वैच्छिक है, आप किसी भी अपनी सहमति को रद्द कर (वापस ले) सकते हैं, परंतु आपका सहमति को रद्द करना ऐसी कार्रवाई को अस्वीकार (खंडन) नहीं करता जो आपकी सहमति देने के बाद और इसे वापस लेने से पहले घटित हुई है;
4. यदि आप अपने बच्चे की स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं लेना शुरू करने के *बाद* आपके बच्चे की स्पेशल एज्युकेशन सेवाएं प्राप्त होने की लिखित सहमति को वापस लेते (रद्द करते) हैं तो प्रशासनिक इकाई के लिए आपके बच्चे के शैक्षिक रिकॉर्ड से किसी संदर्भ को निकालने के लिए संशोधन (बदलाव) करना आवश्यक नहीं है कि आपके बच्चे ने स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्राप्त की थी।

<u>**माता-पिता की सहमति**</u>
34 CFR §300.300

आरंभिक मूल्यांकन के लिए सहमति

प्रशासनिक इकाई **पूर्व लिखित नोटिस** और **माता-पिता की सहमति** शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित आपको प्रस्तावित कार्रवाई का पूर्व नोटिस दिए बगैर और आपकी आपकी लिखित सहमति के बगैर यह निर्धारित करने के लिए आपके बच्चे का आरंभिक मूल्यांकन नहीं कर सकती कि क्या आपका बच्चा IDEA के पार्ट B के अंतर्गत स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रशासनिक ईकाई को यह निर्धारित करने के लिए कि आपका बच्चा एक विकलांग बच्चा है इसका आरंभिक मूल्यांकन करने के लिए आपकी सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत प्रयास किए हैं।

आरंभिक मूल्यांकन के लिए आपकी सहमति का मतलब यह नहीं है कि आपने प्रशासनिक इकाई को आपके बच्चे के लिए स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शुरू करने के लिए भी सहमति दी है।

प्रशासनिक इकाई आरंभिक मूल्यांकन के संबंध में एक सेवा या गतिविधि के लिए सहमति हेतु आपके इन्कार को आपके या आपके बच्चे के लिए किसी अन्य सेवा, लाभ, या गतिविधि प्रदान करने के लिए आधार नहीं बना सकती जब तक पार्ट B की अन्य शर्त प्रशासन को ऐसा करने के लिए अनिवार्य नहीं बनाती है।

यदि आपके बच्चे का नामांकन एक पब्लिक स्कूल में हुआ है या आप अपने बच्चे का नामांकन एक पब्लिक स्कूल में चाहते हैं और आपने आरंभिक मूल्यांकन के लिए सहमति देने से इन्कार कर दिया है या सहमति देने के लिए अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं तो प्रशासनिक इकाई IDEA के मध्यस्थता या उचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान मीटिंग, और निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाएं उपयोग करके आपके बच्चे का आरंभिक मूल्यांकन करने की इच्छा कर सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है (जब तक ऐसा करना स्टेट कानून के अंतर्गत निषेध नहीं किया गया है)। प्रशासनिक इकाई आपके बच्चे का पता लगाने, पहचानने और मूल्यांकन करने के लिए अपने दायित्वों का उल्लंघन नहीं करेगी यदि इन परिस्थितियों में यह आपके बच्चे का एम मूल्यांकन करने का लक्ष्य नहीं रखती है, जब तक स्टेट कानून मूल्यांकन करने का लक्ष्य आवश्यक नहीं करता है।

स्टेट के आश्रित व्यक्तियों के आरंभिक मूल्यांकन के लिए विशेष नियम

यदि एक बच्चा स्टेट का आश्रित है और अपने माता-पिता के साथ नहीं रह रहा है —

प्रशासनिक इकाई को यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चा एक विकलांग बच्चा है, आरंभिक मूल्यांकन के लिए माता-पिता से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है यदि:

1. ऐसा करने के तर्कसंगत प्रयासों के बावजूद, प्रशासनिक इकाई बच्चे के माता-पिता का पता नहीं लगा सकती है;
2. स्टेट कानून के अनुसार माता-पिता के अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए हों; <u>**या**</u>
3. माता-पिता के अलावा एक जज को शिक्षा संबंधी निर्णय लेने और एक आरंभिक मूल्यांकन के लिए सहमति देने का अधिकार सौंप दिया गया हो।

स्टेट का आश्रित, जैसा IDEA में उपयोग किया गया है, का अर्थ एक बच्चा स्टेट जिसमें रहता है,उसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि:

1. एक पालित बच्चा है;
2. स्टेट कानून के अंतर्गत राज्य का आश्रित माना गया है; <u>**या**</u>
3. एक सार्वजजिक बाल कल्याण एजेंसी की अभिरक्षा में है।

स्टेट के आश्रित में एक पालित बच्चा शामिल नहीं है जिसके माता-पिता पालित हैं।

सेवाओं के लिए माता-पिता की सहमति

प्रशासनिक ईकाई को आपके बच्चे को पहली बार स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पहले आपकी सूचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

प्रशासनिक ईकाई को आपके बच्चे को पहली बार स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु आपकी सूचित सहमति प्राप्त करने के सभी तर्कसंगत प्रयास करने चाहिएं।

यदि आप अपने बच्चे के लिए *पहली बार* स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्राप्त करने की आपकी सहमति देने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या यदि आप ऐसी सहमति देने इन्कार करते हैं या बाद में अपनी सहमति लिखित रूप में समाप्त (रद्द) करते हैं; प्रशासनिक इकाई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (जैसे मध्यस्थता प्रक्रियाओं, उचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान मीटिंग, या एक निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाओं) का उपयोग एक समझौते तक पहुँचने या एक आदेश हासिल करने में नहीं कर सकती कि आपके बच्चे को (IEP टीम द्वारा अनुशंसित) स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं आपकी सहमति के बगैर प्रदान की जा सकती हैं।

यदि आप अपने बच्चे के लिए पहली बार स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्राप्त करने की आपकी सहमति देने से इन्कार करते हैं; या आप ऐसी सहमति प्रदान करने के किसी अनुरोध पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या बाद में अपनी सहमति लिखित रूप में समाप्त (रद्द) करते हैं और, इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक इकाई आपके बच्चे को स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं करती है जिसके लिए यह आपकी सहमति चाहती थी, प्रशासनिक इकाई:

1. आपके बच्चे को उपलब्ध उन स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने में इसके विफल रहने पर आपके बच्चे को एक नि:शुल्क उचित पब्लिक शिक्षा (FAPE) प्रदान करने की शर्त का उल्लंघन नहीं करती है; और
2. आपके बच्चे के लिए स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं जिसके लिए आपकी सहमति हेतु अनुरोध किया गया था एक व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम (IEP) मीटिंग या एक IEP तैयार करने के शर्ताधीन नहीं हैं।

यदि आप अपने बच्चे के लिए पहली बार स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के बाद किसी भी समय आपकी सहमति लिखित रूप में वापस लेते (रद्द) करते हैं तो प्रशासनिक इकाई ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी नहीं रख सकती, लेकिन उन सेवाओं को बंद करने से पहले आपको एक पूर्व लिखित नोटिस प्रदान करना चाहिए जैसा **पूर्व लिखित नोटिस** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

पुर्नमूल्यांकन के लिए माता-पिता की सहमति

प्रशासनिक इकाई को आपके बच्चे का पुर्नमूल्यांकन करने से पहले आपकी सूचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए, जब तक प्रशासनिक इकाई यह साबित नहीं कर सकती है कि:

1. इसने आपके बच्चे के पुर्नमूल्यांकन के लिए आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत कदम उठाए थे; **<u>और</u>**
2. आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

यदि आप अपने बच्चे के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपनी सहमति देने इन्कार करते हैं, प्रशासनिक इकाई आपके बच्चे के मूल्यांकन के लिए आपकी सहमति देने से इन्कार को अधिरोपित करने की इच्छा से मध्यस्थता, उचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान मीटिंग, या एक निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके आपके बच्चे के पुर्नमूल्यांकन की इच्छा कर सकती है, लेकिन यह करना आवश्यक नहीं है। आरंभिक मूल्यांकन के अनुसार, प्रशासनिक इकाई यदि इस तरीके से पूर्नमूल्यांकन करना चाहती है तो यह IDEA के पार्ट B के अंतर्गत इसकी बाध्यताओं का उल्लंघन नहीं करती है।

माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के तर्कसंगत प्रयासों को रिकॉर्ड करना

प्रशासनिक इकाई को आरंभिक मूल्यांकन, पहली बार स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने, पुर्नमूल्यांकन करने के लिए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने और आरंभिक मूल्यांकन में राज्य के संरक्षण में बच्चो के माता-पिता का पता लगाने के तर्कसंगत प्रयासों के दस्तावेज बनाने चाहिएं। दस्तावेजों में प्रशासनिक इकाई द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए, जैसे:

1. इस संबंध में किए गए टेलीफोन कॉल का विस्तृत ब्यौरा और उन कॉल के परिणाम;
2. आपको भेजे गए पत्र-व्यवहार की प्रतियां और प्राप्त हुए कोई भी जवाब; **<u>और</u>**

3. आपके घर या कार्यस्थल पर की गई यात्राओं का विस्तृत ब्यौरा और उन यात्राओं के परिणाम।

सहमति की अन्य शर्तें

प्रशासनिक इकाई के समक्ष आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है:

1. आपके बच्चे के मूल्यांकन या एक पुर्नमूल्यांकन के हिस्से के रूप में मौजूदा डेटा की समीक्षा; या
2. आपके बच्चे को एक टेस्ट देना या अन्य मूल्यांकन करना जो सभी बच्चों के लिए किया जाता है, जब तक उस टेस्ट या मूल्यांकन से पहले सभी बच्चों के सभी माता-पिता से सहमति लेना आवश्यक नहीं है।

प्रशासनिक इकाई एक सेवा या गतिविधि के लिए आपकी सहमति देने से इन्कार को आपको या आपके बच्चे को अन्य कोई सेवा, लाभ या गतिविधि से इन्कार करने में इस्तेमाल नहीं कर सकती।

यदि आपने अपने बच्चे का नामांकन एक प्रायवेट स्कूल में स्वयं अपने व्यय पर करवाया है या आप घर में अपने बच्चे की स्कूल शिक्षा करवा रहे हैं, और आप अपने बच्चे के आरंभिक मूल्यांकन या आपके बच्चे के पुर्नमूल्यांकन के लिए सहमति प्रदान नहीं करते, या आप अपनी सहमति देने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं तो प्रशासनिक इकाई इसकी सहमति अधिरोपित प्रक्रियाओं (जैसे मध्यस्थता, उचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान मीटिंग, या एक निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई) का इस्तेमाल नहीं कर सकती और आपके बच्चे को न्यायसंगत सेवाओं (जैसे माता-पिता द्वारा प्रायवेट स्कूलों में रखे गए विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाएं) के लिए पात्रता पर विचार करने की शर्ताधीन नहीं है।

<u>निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन</u>
34 CFR §300.502

सामान्य

जैसा नीचे वर्णित है, यदि आप प्रशासनिक इकाई द्वारा आपके बच्चे के मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं तो आपके पास एक निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन (IEE) करवाने का अधिकार है।

यदि आप एक IEE के लिए अनुरोध करते हैं तो प्रशासनिक इकाई को आपको IEE पर लागू होने वाले प्रशासनिक इकाई के मानदण्ड और स्थान की जानकारी प्रदान करनी चाहिए जहाँ से आप एक IEE हासिल कर सकते हैं।

परिभाषाएं

निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ एक योग्य परीक्षक द्वारा संचालित मूल्यांकन जो आपके बच्चे की शिक्षा के प्रति उत्तदायी प्रशासनिक इकाई का कर्मचारी नहीं है।

सार्वजनिक व्यय का अर्थ है प्रशासनिक इकाई या तो मूल्यांकन की पूरी लागत वहन करे या सुनिश्चित करे कि अन्यथा आपको मूल्यांकन बगैर लागत उपलब्ध करवाया जाए, जो IDEA के पार्ट B के प्रावधानों के अनुरूप हो, जो स्टेट को अनुमति देता है कि एक्ट के पार्ट B की शर्तें पूरी करने के लिए स्टेट में उपलब्ध सहायता के कोई भी स्टेट, स्थानीय, फेडरल और प्रायवेट संसाधनों का इस्तेमाल करे।

सार्वजनिक व्यय पर मूल्यांकन हेतु माता-पिता के अधिकार

यदि आप प्रशासनिक इकाई द्वारा आपके बच्चे के मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं तो आपके पास अपने बच्चे के लिए एक IEE प्राप्त करने का अधिकार है, जो निम्नलिखित शर्ताधीन है:

1. यदि आप सार्वजनिक व्यय पर आपके बच्चे के लिए एक IEE अनुरोध करते हैं तो प्रशासनिक इकाई को बगैर अनावश्यक विलंब दोनों में से कोई एक करना चाहिए: (a) यह दर्शाने के लिए कि इसका आपके बच्चे के लिए किया गया मूल्यांकन उचित है इसकी सुनवाई का अनुरोध करने के लिए एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करना; <u>या</u> (b) सार्वजनिक व्यय पर एक IEE उपलब्ध करवाना, जब तक प्रशासनिक इकाई एक सुनवाई में यह प्रदर्शित नहीं करती है कि आपके बच्चे का आपके द्वारा प्राप्त मूल्यांकन प्रशासनिक इकाई के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है।
2. यदि प्रशासनिक इकाई एक सुनवाई के लिए अनुरोध करती है और अंतिम निर्णय यह होता है कि प्रशासनिक इकाई द्वारा आपके बच्चे का मूल्यांकन उचित है, आपके अभी भी एक IEE प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु सार्वजनिक व्यय पर नहीं।

3. यदि आप अपने बच्चे के लिए एक IEE का अनुरोध करते हैं,प्रशासनिक इकाई पूछ सकती है कि आपको प्रशासनिक इकाई द्वारा आपके बच्चे के मूल्यांकन पर आपत्ति क्यों है। परंतु, प्रशासनिक इकाई आपको एक स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कह सकती है और आपके बच्चे के लिए सार्वजनिक व्यय पर IEE उपलब्ध करवाने या आपके बच्चे के लिए प्रशासनिक इकाई के मूल्यांकन के पक्ष में एक उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए अनुरोध करने हेतु एक उचित प्रक्रिया सुनवाई में अनुचित रूप से विलंब नहीं कर सकती है।

प्रशासनिक इकाई द्वारा प्रत्येक बार आपके बच्चे के मूल्यांकन जिससे आप सहमत नहीं हों आप सार्वजनिक व्यय पर अपने बच्चे के लिए केवल एक बार निष्पक्ष मूल्यांकन करवाने के हकदार हैं।

माता-पिता द्वारा प्रारंभ मूल्यांकन

यदि आप अपने बच्चे के लिए सार्वजनिक व्यय पर एक निष्पक्ष मूल्यांकन करवाते हैं या आप प्रशासनिक इकाई के साथ अपने बच्चे का मूल्यांकन साझा करते हैं जिसे आपने निजी व्यय पर हासिल किया है:

1. प्रशासनिक इकाई को आपके बच्चे के मूल्यांकन के परिणामों पर विचार करना चाहिए, आपके बच्चे के संबंध में एक नि:शुल्क पब्लिक एज्युकेशन (FAPE) के प्रावधान के संबंध में किए गए किसी निर्णय में यदि यह IEEs के लिए प्रशासनिक इकाई के मानदण्डों को पूरा करता है; **और**
2. आप या प्रशासनिक इकाई आपके बच्चे के संबंध में मूल्यांकन को उचित प्रक्रिया सुनवाई में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जजों द्वारा मूल्यांकनों के लिए अनुरोध

यदि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज उचित प्रक्रिया सुनवाई के हिस्से के रूप में आपके बच्चे के एक निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन का अनुरोध करता है, मूल्यांकन की लागत सार्वजनिक व्यय पर होनी चाहिए।

प्रशासनिक इकाई मानदण्ड

यदि एक निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन सार्वजनिक व्यय पर होता है, मानदण्ड जिसके अंतर्गत मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन का स्थान और परीक्षक की योग्यताएं भी शामिल हैं, उस मानदण्ड के समान होना चाहिए जो प्रशासनिक इकाई उस समय इस्तेमाल करती है जब इसने एक मूल्यांकन आरंभ किया था (उस सीमा तक वे मानदण्ड आपके एक निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन के आपके अधिकार के सुसंगत हैं)।

उपरोक्म वर्णित मानदण्ड के अतिरिक्त, एक प्रशासनिक इकाई सार्वजनिक व्यय पर एक निष्पक्ष शैक्षिक मूल्यांकन हासिल करने के संबंध में शर्तें या समयसीमाएं लागू नहीं कर सकती है।

सूचना की गोपनीयता

परिभाषाएं
34 CFR §300.611

जैसा **सूचना की गोपनीयता** शीर्षक के अंतर्गत उपयोग किया गया है:

नष्ट करना का अर्थ है सूचना से व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं को नष्ट करना या निकालना ताकि सूचना आगे व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य नहीं हो।

शिक्षा रिकॉर्ड का अर्थ 34 CFR Part 99 (फेमिली एज्युकेशनल राइट्स एण्ड प्रायवेसी एक्ट ऑफ 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA) लागू करने के नियम)में ''शैक्षिक रिकॉर्ड'' परिभाषा के अंतर्गत कवर किए गए रिकॉर्ड के प्रकार है।

प्रतिभागी एजेंसी का अर्थ कोई भी सार्वजनिक एजेंसी या संस्थान जो व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी एकत्र, कायम या इस्तेमाल करता है, या जिससे IDEA के पार्ट B के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की जाती है।

<u>व्यक्तिगत पहचान योग्य</u>
34 CFR §300.32

व्यक्तिगत पहचान योग्य का मतलब वह जानकारी जिसमें:

(a) आपके बच्चे का नाम, माता-पिता के रूप में आपका नाम, या परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम है;

(b) आपके बच्चे का पता;

(c) एक व्यक्तिगत पहचानकर्ता, जैसे आपके बच्चे का सोशल सिक्योरिटी नंबर या स्टूडेंट नंबर; **<u>या</u>**

(d) निजी विशेषताओं की एक सूची या अन्य जानकारी जो आपके बच्चे की तर्कसंगत सुनिश्चितता के साथ पहचान को संभव बनाती हों।

<u>माता-पिता को नोटिस</u>
34 CFR §300.612

कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन (CDE) द्वारा नोटिस देना चाहिए जो माता-पिता को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की गोपनीयता के बारे में पूरी तरह सूचित करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें शामिल हैं:

1. उस सीमा का विवरण जहां तक स्टेट के अंदर विभिन्न जनसंख्या समूहों की मातृभाषा में नोटिस दिया गया है;
2. उन बच्चों का एक विवरण जिनकी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी कायम की जाती है, वांछित जानकारी के प्रकार, स्टेट द्वारा जानकारी प्राप्त करने के तरीके (ऐसे स्रोतों सहित जिनसे सूचना हासिल की गई है), सूचना को कहां उपयोग किया जाएगा;
3. नीतियों और प्रक्रियाओं का सारांश जो प्रतिभागी एजेंसियों को व्यक्तिगत जानकारी के भण्डारण, तृतीय पक्षों को प्रकटीकरण, धारित करने और नष्ट करने में पालन करना आवश्यक है; **<u>और</u>**
4. इस सूचना के संबंध में माता-पिता और बच्चों के सभी अधिकारों का विवरण, जिसमें फेमिली एज्युकेशनल राइट्स एण्ड प्रायवेसी एक्ट (FERPA) के अंतर्गत अधिकार और 34 CFR पार्ट 99 में इसके लागू करने के नियामक शामिल हैं।

किसी प्रमुख पहचान, खोज या मूल्यांकन गतिविधि से पहले (“child find” के रूप में भी जानें), स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं के जरूरतमंद बच्चों की खोज, पहचान और मूल्यांकन किए जाने वाले संपूर्ण स्टेट में माता-पिताओं को सूचित करने के लिए नोटिस को पर्याप्त प्रसार वाले समाचारपत्रों में प्रकाशित या अन्य मीडिया में प्रसारित, या दोनों किए जाने चाहिएं।

<u>पहुँच के अधिकार</u>
34 CFR §300.613

प्रतिभागी एजेंसी को आपके बच्चे से संबंधित किसी भी शैक्षिक रिकॉर्ड के निरीक्षण और समीक्षा करने की आपको अनुमति देनी आवश्यक है जो प्रशासनिक इकाई द्वारा IDEA के पार्ट B के अंतर्गत प्राप्त, कायम या इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रतिभागी एजेंसी को आपके बच्चे के किसी भी शैक्षिक रिकॉर्ड का निरीक्षण और समीक्षा करने के अनुरोध का बगैर किसी अनावश्यक विलंब और एक व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम (IEP) के संबंध में किसी मीटिंग, या एक निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई (एक समाधान मीटिंग या अनुशासन के संबंध में एक सुनवाई सहित) से पहले पालन करना चाहिए, और किसी भी स्थिति में आपका अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनो अधिक नहीं हो।

शैक्षिक रिकॉर्ड का निरीक्षण और समीक्षा करने के आपके अधिकार में शामिल हैं:

1. रिकॉर्ड के स्पष्टीकरण और व्याख्या करने के आपके तर्कसंगत अनुरोधों पर प्रतिभागी एजेंसी द्वारा प्रतिक्रिया करने का आपका अधिकार;
2. आपका यह अनुरोध करने का अधिकार कि प्रतिभागी एजेंसी रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाएं यदि आप प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड का निरीक्षण और समीक्षा नहीं कर पाते हैं जब तक आपको वे प्रतियां प्राप्त नहीं होती हैं; **<u>और</u>**

3. रिकॉर्डों के निरीक्षण और समीक्षा के लिए आपका पास अपना प्रतिनिधि रखने का अधिकार।

प्रतिभागी एजेंसी ऐसा मान सकती है कि आपके पास अपने बच्चे से संबंधित रिकॉर्ड के निरीक्षण और समीक्षा करने का अधिकार है जब तक अभिभावकत्व, या अलगाव और तलाक को शासित करने वाले स्टेट कानून के अंतर्गत यह परामर्श नही दिया जाता कि आपके पास यह प्राधिकार नहीं है।

<u>पहुँच का रिकॉर्ड</u>
34 CFR §300.614

प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी को IDEA के पार्ट B के अंतर्गत प्राप्त, कायम और इस्तेमाल किए गए रिकॉर्ड तक पहुँच हासिल करने वाले पक्षों (मातस-पिता और एजेंसी के अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर) का एक रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, इसमें उस पक्ष का नाम, पहुँच प्रदान करने की तारीख, और उद्देश्य जिसके लिए उस पक्ष को रिकॉर्ड इस्तेमाल करने की पहुँच प्रदान की गई शामिल हैं।

<u>एक से अधिक बच्चों के रिकॉर्ड</u>
34 CFR §300.615

यदि किसी शैक्षिक रिकॉर्ड में एक से अधिक बच्चों का रिकॉर्ड शामिल है, उन बच्चबच्चों के माता-पिता के पास केवल उनके बच्चे से संबंधित जानकारी के निरीक्षण और समीक्षा करने या उस विशेष सूचना के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है।

<u>सूचना के प्रकार और स्थानों की सूची</u>
34 CFR §300.616

अनुरोध करने पर प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी को उस एजेंसी द्वारा प्राप्त, कायम या इस्तेमाल किए गए शैक्षिक रिकॉर्डों के प्रकार और स्थानों की जानकारी आपको उपलब्ध करवानी चाहिए।

<u>फीस</u>
34 CFR §300.617

प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी रिकॉर्ड की प्रतियों के लिए फीस ले सकती है जो आपके लिए IDEA के पार्ट B के अंतर्गत तैयार की जाती हैं, यदि शुल्क आपको उन रिकॉर्ड के निरीक्षण और समीक्षा करने के आपके अधिकार करने को प्रभावी ढंग से वंचित नहीं करता है।

एक प्रतिभागी एजेंसी IDEA के पार्ट B के अंतर्गत जानकारी को खोजने और पुर्नप्राप्ति के लिए शुल्क प्राप्त नहीं कर सकती है।

<u>माता-पिता के अनुरोध पर रिकॉर्ड में संशोधन</u>
34 CFR §300.618

यदि आपका मानना है कि IDEA के पार्ट B के अंतर्गत आपके बच्चे की शैक्षिक रिकॉर्ड में प्राप्त, कायम और इस्तेमाल की गई जानकारी गलत, भ्रामक या आपके बच्चे की निजता के अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप रिकॉर्ड संभालने वाली प्रतिभागी एजेंसी को रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अनुरोध कर सकते हैं।

प्रतिभागी एजेंसी को आपके अनुरोध प्राप्त होने की न्यायसंगत समय सीमा में निर्णय लेना चाहिए कि क्या सूचना में आपक अनुरोध के अनुसार परिवर्तन किया जाए।

यदि प्रतिभागी एजेंसी आपके अनुरोध के अनुसार जानकारी में परिवर्तन करने से इन्कार कर देती है तो इसे आपको इन्कार के बारे में सूचित करना चाहिए और **एक सुनवाई का अवसर** शीर्षक के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए आपके सुनवाई के अधिकार के बारे में आपको परामर्श देना चाहिए।

<u>सुनवाई के लिए अवसर</u>
34 CFR §300.619

प्रतिभागी एजेंसी को अनुरोध करने पर आपके बच्चे के शैक्षिक रिकॉर्ड में सूचना को चुनौती देने के लिए सुनवाई का अवसर यह सुनिश्चित करने के लिए देना चाहिए कि वह गलत, भ्रामक या अन्यथा आपके बच्चे की निजता को उल्लंघन करने वाला नहीं हो।

<u>सुनवाई प्रक्रियाएं</u>
34 CFR §300.621

शैक्षिक रिकॉर्ड में चुनौती देने वाली सुनवाई फेमिली एज्युकेशन राइट्स एण्ड प्रायवेसी एक्ट (FERPA) के अंतर्गत ऐसी सुनवाईयों के लिए लिए प्रक्रियाओं के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए।

<u>सुनवाई का परिणाम</u>
34 CFR §300.620

यदि सुनवाई के परिणामस्वरूप, प्रतिभागी एजेंसी निर्णय करती है कि सूचना गलत, भ्रामक या अन्यथा आपके बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है, इसे तदनुसार जानकारी में बदलाव करना और आपको लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।

यदि सुनवाई के परिणामस्वरूप, प्रतिभागी एजेंसी निर्णय करती है कि सूचना गलत, भ्रामक या अन्यथा आपके बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करने वाली नहीं है तो इसे आपके मौजूद अधिकार के बारे में एक व्यक्तव्य में सूचना पर टिप्पणी करते हुए आपके बच्चे के रखे गए रिकॉर्ड रखते हुए आपको सूचित करना चाहिए या कोई कारण बताने चाहिएं जिससे आप प्रतिभागी एजेंसी के निर्णय से सहमत नहीं हैं।

आपके बच्चे के रिकॉर्ड में रखा गया ऐसा स्पष्टीकरण होना चाहिए:

1. आपके बच्चे के रिकॉर्ड के अंश के ररूप में प्रतिभागी एजेंसी द्वारा उस समय तक कायम रखना चाहिए जब तक रिकॉर्ड या चुनौती दिया गया हिस्सा प्रतिभागी एजेंसी द्वारा रखा जाता है, **<u>और</u>**
2. यदि प्रतिभागी एजेंसी आपके बच्चे के रिकॉर्ड या चुनौती दिए गए हिस्से का किसी तृतीय पक्ष को प्रकटीकरण करती है तो स्पष्टीकरण भी तृतीय पक्ष को प्रकट किया जाना चाहिए।

<u>व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति</u>
34 CFR §300.622

जब तक जानकारी शैक्षिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं होती है, और फेमिली एज्युकेशन राइट्स एण्ड प्रायवेसी एक्ट (FERPA) के अंतर्गत माता-पिता की सहमति के बगैर प्रकटीकरण को अधिकृत नहीं किया जाता है तो प्रतिभागी ऐजेंसी के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के प्रकटीकरण से पहले आपकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। नीचे वर्णित परिस्थितियों के अलावा IDEA के पार्ट B की शर्त पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिभागी एजेंसी के अधिकारियों को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के प्रकटीकरण के लिए आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

आपकी सहमति या स्टेट कानून के अंतर्गत वयस्क होने की आयु प्राप्त करने वाले आपके बच्चे की सहमति व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के प्रतिभागी एजेंसियों के अधिकारियों को प्रकटीकरण करने से पहले प्राप्त करनी चाहिए जो संक्रमण सेवाएं उपलब्ध या भुगतान कर रहे हैं।

यदि आप बच्चा एक प्रायवेट स्कूल में है या उसमें जाने वाला है जो उसी प्रशासनिक इकाई में स्थित नहीं है जिसमें आप निवास करते हैं, आपके बच्चे के बारे में व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उस प्रशसनिक इकाई के अधिकारियों जिसमें प्रायवेट स्कूल स्थित है और उस प्रशासनिक इकाई के अधिकारियों जिसमें आप निवास करते हैं को प्रकटीकरण से पहले आपकी सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

<u>सुरक्षा उपाय</u>
34 CFR §300.623

प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की गोपनीयता की सुरक्षा इसके प्राप्त करने, भण्डारण, प्रकटीकरण और नष्ट करने के चरणों में करनी चाहिए।

प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी में एक अधिकारी को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को प्राप्त या उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को IDEA के पार्ट B और फेमिली एज्युकेशन राइट्स एण्ड प्रायवेसी एक्ट (FERPA) के अंतर्गत गोपनीयता के संबंध में स्टेट की नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण या निर्देश प्राप्त होने चाहिएं।

प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी को लोगों के निरीक्षण के लिए एजेंसी में उन कर्मचारियों के नाम और पदों की सूची बनानी चाहिए जिनकी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी तक पहुँच हो सकती है।

<u>सूचना नष्ट करना</u>
34 CFR §300.624

प्रशासनिक इकाई के लिए आपको सूचित करना आवश्यक है जब प्राप्त, कायम या उपयोग की गई व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की आपके बच्चे को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने में आगे जरूरत नहीं है।

इस जानकारी को आपके अनुरोध पर नष्ट किया जाना चाहिए। परंतु, आपके बच्चे के नाम, पता, और फोन नंबर, उसके ग्रेड, उपस्थिति रिकॉर्ड, कक्षाएं, पूरे किए गए ग्रेड लेवल और पास करने के वर्ष का एक स्थाई रिकॉर्ड बगैर समय-सीमा के रखा जाना चाहिए।

स्टेट शिकायत प्रक्रियाएं

<u>उचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत और स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं में अंतर</u>

IDEA कि पार्ट B के नियम स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं और उचित प्रक्रिया शिकायतों की अलग-अलग प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। जैसा नीचे वर्णित है, कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी प्रशासनिक इकाई या कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन (CDE) द्वारा पार्ट B की किसी शर्त के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक हस्ताक्षरयुक्त लिखित <u>स्टेट</u> शिकायत दर्ज कर सकता है। केवल एक माता-पिता या एक प्रशासनिक इकाई एक विकलांग बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षिक प्लेसमेंट में परिवर्तन शुरू करने से संबंधित किसी मामले, या बच्चे के लिए एक नि:शुल्क उचित पब्लिक एज्युकेशन (FAPE) के प्रावधान संबंधी की पेशकश या इन्कार के लिए एक <u>उचित प्रक्रिया</u> शिकायत दर्ज करवा सकता है। सामान्यत:, CDE के स्टेट कम्पलेंट ऑफिसर को एक <u>स्टेट</u> शिकायत का निपटान 60-दिनों की समयसीमा में करना चाहिए, जब तक समयसीमा को यथोचित विस्तार नहीं किया गया हो। इसके विपरीत, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) को एक <u>उचित प्रक्रिया</u> शिकायत का निपटान (यदि एक समाधान मीटिंग या मध्यस्थता के द्वारा समाधान नहीं हुआ है) समाधान अवधि समाप्त होने के 45-दिनों के अंदर करके एक लिखित निर्णय देना चाहिए, जैसा इस दस्तोवज में **समाधान प्रक्रिया** के अंतर्गत वर्णित किया गया है। किसी भी एक पक्ष के अनुरोध करने पर ALJ <u>उचित प्रक्रिया</u> शिकायत समयसीमा में एक निश्चित विस्तार कर सकता है। स्टेट शिकायत, उचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान मीटिंग और उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाओं का अधिक विस्तार से नीचे वर्णित किया गया है।

<u>स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं का अंगीकरण</u>
34 CFR §300.151

सामान्य

CDE में इनके लिए लिखित प्रक्रियाएं होनी चाहिएं:

1. किसी समस्या का समाधान करना, किसी अन्य स्टेट के संगठन या व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत सहित;
2. CDE को शिकायत दर्ज करना; और
3. स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं का मात-पिता और अन्य इच्छुक व्यक्तियों तक व्यापक प्रसार करना, जिनमें माता-पिता प्रशिक्षण और सूचना केंद्र, सुरक्षा और प्रवक्ता एजेंसियां, स्वतंत्र जीवनयापन केंद्र और अन्य उपयुक्त इकाईयां शामिल हैं।

उपयुक्त सेवाओं से इन्कार केलिए उपचार

स्टेट शिकायत का निवारण करने में जिसमें CDE को उचित सेवाएं प्रदान करने में विफलता ज्ञात हुई हो, CDE को करना चाहिए:

1. उचित सेवाएं प्रदान करने में विफलता, जिसमें बच्चे की जरूरतें पूरा करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है; **<u>और</u>**
2. सभी विकलांग बच्चों के लिए भविष्य के उचित प्रावधान।

<u>न्यूनतम स्टेट शिकायत प्रक्रियाएं</u>
34 CFR §300.152

समय सीमा; न्यूनतम प्रक्रियाएं

CDE को इसकी स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं में एक शिकायत दर्ज होने के बाद 60 दिनों की समय सीमा शामिल करनी चाहिए:

1. यदि CDE निर्धारित करता है कि एक जांच आवश्यक है तो एक निष्पक्ष ऑन-साइट जांच की जाए;
2. शिकायतकर्ता को शिकायत में लगाए आरोपों के बारे में लिखित या मौखिक रूप से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए;
3. प्रशासनिक इकाई को शिकायत पर प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करे, जिसमें कम से कम शामिल हों: (a) एजेंसी के चयन पर शिकायत का निवारण करने का प्रस्ताव; **<u>और</u>** (b) शिकायत दर्ज करवाने वाले माता-पिता और स्वैच्छिक रूप से मध्यस्थता करने के लिए सहमत एजेंसी के लिए एक अवसर;
4. सभी प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा करना और एक निष्पक्ष निर्णय करना कि क्या प्रशासनिक इकाई IDEA के पार्ट B की किसी शर्त का उल्लंघन कर रही है; **<u>और</u>**
5. शिकायतकर्ता को लिखित निर्णय देना जिसमें शिकायत में सभी आरोपों का समाध्धन हो और ये शामिल हों: (a) तथ्य के परिणाम और निष्कर्ष; **<u>और</u>** (b) CDE के अंतिम निर्णय के कारण।

समय विस्तार; अंतिम निर्णय; क्रियान्वयन

CDE की उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं में होना चाहिए:

1. केवल 60 दिनों की समय-सीमा के विस्तार की अनुमति, यदि (a) किसी विशेष स्टेट शिकायत के संबंध में असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं; **<u>या</u>** (b) आप या प्रशासनिक इकाई और मध्यस्था या विवाद समाधान के

वैकल्पिक माध्यमों द्वारा मामले का निपटान करने में शामिल कोई अन्य पब्लिक एजेंसी स्वैच्छिक रूप से समय विस्तार के लिए सहमत हैं।

2. यदि आवश्यक हो, CDE के अंतिम निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रक्रियाएं शामिल करें, जिनमें शामिल हैं: (a) तकनीकी सहायक गतिविधियां; (b) बातचीत; **<u>और</u>** (c) अनुपालन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाईयां।

स्टेट शिकायतें और उचित प्रक्रिया सुनवाईयां

यदि एक स्टेट शिकायत प्राप्त होती है जो एक उचित प्रक्रिया सुनवाई का भी विषय है जैसा नीचे **एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करना** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित है, या स्टेट शिकायत में अनेक मुद्दें है जिनमें से एक या अधिक ऐसी किसी सुनवाई का हिस्सा हैं जिन्हें उचित प्रक्रिया सुनवाई में समाधान करना है तो तो स्टेट को स्टेट शिकायत को, या स्टेट शिकायत के किसी भाग को सुनवाई पूरी होने तक मुल्तवी रखना चाहिए। स्टेट शिकायत में कोई मुद्दा जो उचित प्रक्रिया सुनवाई का हिस्सा नहीं है उसे उपरोक्त वर्णित समय सीमा और प्रक्रियाएं उपयोग करके समाधान करना चाहिए।

यदि स्टेट शिकायत में उठाए गए मुद्दे को पहले उन्हीं पक्षों (आप और प्रशासनिक इकाई) के शामिल रहते हुए उचित प्रक्रिया सुनवाई में निर्णित किया गया है, तो उस मुद्दे पर उचित प्रक्रिया सुनवाई का निर्णय बाध्यकारी होता है और CDE द्वारा शिकायतकर्ता को सूचित करना चाहिए कि निर्णय बाध्यकारी है।

एक उचित प्रक्रिया सुनवाई के निर्णय को लागू करने में प्रशासनिक इकाई की विफलता का आरोप लगाने वाली शिकायत का CDE द्वारा निपटान किया जाना चाहिए।

<u>एक शिकायत दर्ज करना</u>
34 CFR §300.153

एक संगठन या व्यक्ति उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत एक हस्ताक्षरयुक्त लिखित स्टेट शिकायत दर्ज कर सकता है।

स्टेट शिकायत में शामिल होने चाहिएं:

1. एक कथन कि प्रशासनिक इकाई ने IDEA के पार्ट B या इसके नियमों की शर्त का उल्लंघन किया है;
2. तथ्य जिनपर वह कथन आधारित हैं;
3. शिकायत दर्ज करवाने वाले पक्ष के हस्ताक्षर और संपर्क जानकारी; और
4. यदि किसी विशेष बच्चे के संबंध में उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं तो:
   - (a) बच्चे का नाम और बच्चे के आवास का पता;
   - (b) स्कूल का नाम जिसमें बच्चा जाता है;
   - (c) एक बेघर बच्चे या युवा के मामले में, बच्चे के बारे में उपलब्ध संपर्क जानकारी, और स्कूल का नाम जिसमें बच्चा जाता है;
   - (d) बच्चे की समस्या की प्रकृति का विवरण, समस्या से संबंधित तथ्यों सहित; **<u>और</u>**
   - (e) शिकायत दर्ज करवाने के समय शिकायतकर्ता पक्ष के लिए ज्ञात और उपलब्ध सीमा तक समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित समाधान।

शिकायत में एक उल्लंघन का आरोप होना चाहिए जो शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ हो जैसा **शिकायत प्रक्रियाओं का अंगीकरण** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

स्टेट शिकायत दर्ज करवाने वाले पक्ष को शिकायत की एक प्रति बच्चे को सेवा प्रदान कर रही प्रशासनिक इकाई को उसी समय अग्रेषित करनी चाहिए जब वह पक्ष CDE को शिकायत दर्ज करवाता है।

आप CDE की स्टेट शिकायत प्रक्रियाओं और फार्मों के बारे में अतिरिक्त जानकारी को CDE के एक्सेप्शनल स्टुडेंट लीडरशिप यूनिट में (303)866-6694 पर फोन करके या CDE डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वेब पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं: http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm.

उचित प्रक्रिया शिकायत प्रक्रियाएं

<u>एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करना</u>
34 CFR §300.507

सामान्य

आप या प्रशासनिक इकाई एक विकलांग बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षिक प्लेसमेंट में परिवर्तन शुरू करने से संबंधित किसी मामले, या बच्चे के लिए एक नि:शुल्क उचित पब्लिक एज्युकेशन (FAPE) के प्रावधान संबंधी की पेशकश या इन्कार के लिए एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उचित प्रक्रिया शिकायत में एक उल्लंघन का आरोप होना चाहिए जो आप या प्रशासनिक इकाई की जानकारी में दो वर्ष से पहले नहीं हुआ हो या कथित कार्रवाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो उचित प्रक्रिया शिकायत का आधार बनाते हैं।

उपरोक्त समयसीमा आपके ऊपर लागू नहीं होती यदि आप समय सीमा में एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज नहीं करवा पाते हैं क्योंकि:

1. प्रशासनिक इकाई ने विशेषकर गलत दर्शाया हो कि इसने शिकायत में चिह्नित मुद्दों का समाधान कर दिया है; **<u>या</u>**
2. प्रशासनिक इकाई ने आपसे सूचना को रोक कर रखा जो इसे के पार्ट B के अंतर्गत आपको उपलब्ध करना आवश्यक था।

माता-पिता के लिए सूचना

प्रशासनिक इकाई को क्षेत्र में उपलब्ध किसी नि:शुल्क या किफायती कानूनी या अन्य प्रासंगिक सेवाओं के बारे में आपको सूचित करना चाहिए यदि आप इसके लिए अनुरोध करते हैं, या यदि आप या प्रशासनिक इकाई एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करवाते हैं।

<u>उचित प्रक्रिया शिकायत</u>
34 CFR §300.508

सामान्य

एक सुनवाई का अनुरोध करने के लिए, आपको या प्रशासिनक इकाई (या आपके अटॉर्नी या प्रशासनिक इकाई के अटॉर्नी) को दूसरे पक्ष के समक्ष एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिकायत में नीचे वर्णित सभी विषयवस्तु शामिल होनी चाहिए और गोपनीय रखी जानी चाहिए।

आप या प्रशासिनक इकाई जो भी एक शिकायत दर्ज करवता है उसे कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन (CDE) को भी शिकायत की एक प्रति उपलब्ध करवानी चाहिए।

शिकायत की विषयवस्तु

उचित प्रक्रिया शिकायत में शामिल होने चाहिएं:

1. बच्चे का नाम;
2. बच्चे के आवास का पता;
3. बच्चे के स्कूल का नाम;

4. यदि बच्चा एक बेघर बच्चा या युवा है, तो बच्चे की संपर्क जानकारी और बच्चे के स्कूल का नाम;
5. प्रस्तावित या इन्कार की गई कार्रवाई के संबंध में बच्चे की समस्या की प्रकृति का विवरण, समस्या से संबंधित तथ्यों सहित; **और**
6. उस समय आपको या प्रशासनिक इकाई को समस्या के लिए ज्ञात और उपलब्ध सीमा तक प्रस्तावित समाधान।

एक उचित प्रक्रिया शिकायत पर सुनवाई से पहले आवश्यक नोटिस

आप या प्रशासिनक इकाई एक उचित प्रक्रिया सुनवाई में भाग नहीं ले सकते जब तक आप या प्रशासिनक इकाई (या आपके अटॉर्नी या प्रशासनिक इकाई के अटॉर्नी) एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज नहीं करते जिसमें उपरोक्त सूचीबद्ध की गई जानकारी शामिल हो।

शिकायत की पर्याप्तता

उचित प्रक्रिया शिकायत को आगे कार्रवाई करने से पहले, इसे पर्याप्त समझा जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया शिकायत को पर्याप्त समझा जाएगा (उपरोक्त वर्णित विषयवस्तु शर्तों का पूरा होना) जब तक उचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त करने वाला पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) निर्धारित एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) को, और दूसरा पक्ष शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर लिखित रूप में सूचित नहीं करती है कि उचित प्रक्रिया शिकायत ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती है।

आप या प्रशासनिक इकाई उचित प्रक्रिया शिकायत को अपर्याप्त मानते हैं यह नोटिफिकेशन प्राप्त होने के पांच दिनों में ALJ को निर्णय करना चाहिए क्या उचित प्रक्रिया शिकायत ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा करती है, और आपको तथा प्रशासनिक इकाई को तत्काल लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।

शिकायत में संशोधन

आप या प्रशासनिक इकाई शिकायत में केवल तभी संशोधन (बदलाव) कर सकते हैं, यदि:

1. अन्य पक्ष बदलावों के लिए लिखित रूप में सहमत है और उचित प्रक्रिया शिकायत का नीचे वर्णित एक समाधान मीटिंग में माध्यम से समाधान करने का अवसर दिया गया है; **या**
2. उचित प्रक्रिया सुनवाई शुरू होने से पहले पांच दिन के बाद नहीं ALJ शिकायत में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है।

यदि शिकायतकर्ता पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) उचित प्रक्रिया शिकायत में संशोधन करते हैं, समाधान मीटिंग की समयसीमा (शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर) और समाधान की समय सीमा (शिकायत प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर) संशोधित शिकायत दर्ज करवाने की तारीख के बाद दोबारा आरंभ हो जाते हैं।

एक उचित प्रक्रिया शिकायत पर प्रशासनिक इकाई की प्रतिक्रिया

यदि प्रशासनिक इकाई ने आपकी उचित प्रक्रिया शिकायत में शामिल विषय सामग्री के संबंध में एक पूर्व लिखित नोटिस नहीं भेजा है, जैसा **पूर्व लिखित नोटिस** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित है, प्रशासनिक इकाई को उचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर आपको एक प्रतिक्रिया भेजनी चाहिए, जिसमें शामिल हों:

1. यह स्पष्टीकरण कि प्रशासनिक इकाई उचित प्रक्रिया शिकायत में उठाए गए विषय पर कार्रवाई करना क्यों प्रस्तावित या इन्कार करती है;
2. अन्य विकल्पों का विवरण जो आपके बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम (IEP) टीम ने विचार किया था और वे कारण कि उन विकल्पों को रद्द क्यों किया गया;

3. प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रिया, आकलन, रिकॉर्ड या रिपोर्ट का विवरण जिसे प्रशासनिक इकाई ने प्रस्तावित या इन्कार करने की कार्रवाई का आधार बनाया है; और
4. अन्य कारणों का विवरण जो प्रशासनिक इकाई के कार्रवाई करने को प्रस्तावित या इन्कार करने से सम्बद्ध हों।

उपरोक्त आयटम 1-4 में जानकारी उपलब्ध करवाना प्रशासनिक इकाई को इस पर जोर देने से वंचित नहीं करता है कि आपकी उचित प्रक्रिया शिकायत अपर्याप्त थी।

एक उचित प्रक्रिया सुनवाई पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया

इसके पहले उप-शीर्षक **एक उचित प्रक्रिया शिकायत पर प्रशासनिक इकाई की प्रतिक्रिया** में वर्णित के अलावा उचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त करने वाले पक्ष को शिकायत प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर दूसरे पक्ष को एक प्रतिक्रिया भेजनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से शिकायत के प्रत्येक मुद्दे को संबोधित किया गया हो।

उचित प्रक्रिया शिकायत और सुनवाई लंबित रहने के दौरान बच्चे का प्लेसमेंट
34 CFR §300.518

नीचे **विकलांग बच्चों को अनुशासित करते समय प्रक्रियाएं** शीर्षक के उल्लेखित को छोड़कर, जब एक उचित प्रक्रिया शिकायत दूसरे पक्ष को भेजी जाती है, समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान, और किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई या कोर्ट कार्रवाई के निर्णय की प्रतीक्षा समय के दौरान, जब तक आप या प्रशासनिक इकाई अन्यथा सहमत नहीं हों, आपका बच्चा उसके वर्तमान शैक्षक प्लेसमेंट में रहना चाहिए।

यदि उचित प्रक्रिया शिकायत में किसी पब्लिक स्कूल में आरंभिक दाखिले का आवेदन शामिल है, जब तक ऐसी सभी प्रक्रियाएं पूरी हों आपके बच्चे को आपकी सहमति के साथ नियमित पब्लिक स्कूल प्रोग्राम में रखा जाना चाहिए।

यदि उचित प्रक्रिया शिकायत में एक बच्चे के लिए IDEA के पार्ट B के अंतर्गत आरंभिक सेवाओं के लिए आवेदन शामिल है जो IDEA के पार्ट C से IDEA के पार्ट B में सेवा के संक्रमण से गुजर रहा है और जो अब पार्ट C सेवाएं लेने के योग्य नहीं है क्योंकि बच्चे की आयु तीन वर्ष हो गई है, प्रशासनिक इकाई के लिए पार्ट C सेवाएं प्रदान करना आवश्यक नहीं है जिन्हें बच्चा प्राप्त कर रहा है। यदि बच्चा IDEA के पार्ट B के अंतर्गत पात्र पाया जाता है और आप अपने बच्चे के लिए पहली बार स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं के लिए सहमत हैं, कार्रवाईयों के परिणाम लंबित होते हुए भी प्रशासनिक इकाई को वे स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करनी चाहिएं जो विवादित नहीं हैं (वे जिन पर आप और प्रशासनिक इकाई सहमत हैं)।

यदि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जब CDE द्वारा संचालित उचित प्रक्रिया सुनवाई में आपसे सहमत है कि प्लेसमेंट में बदलाव उचित है तो उस प्लेसमेंट को आपके बच्चे का वर्तमान प्लेसमेंट के रूप में व्यवहार होना चाहिए जिसमें आपका बच्चा किसी निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई या कोर्अ की कार्रवाई के निर्णय की प्रतीक्षा करने के दौरान रहेगा।

मॉडल फार्म
34 CFR §300.509

CDE को एक उचित प्रक्रिया शिकायत और एक स्टेट शिकायत दर्ज करने में आपकी सहायता के लिए मॉडल फार्म तैयार करने चाहिएं। परंतु, CDE या प्रशासनिक इकाई आपके लिए इन मॉडल फार्मों को उपयोग करना आवश्यक नहीं कर सकते हैं। वास्तव में, आप इस फार्म या अन्य उचित फार्म का उपयोग वहां तक कर सकते हैं जब इसमें एक उचित प्रक्रिया शिकायत या एक स्टेट शिकायत दर्ज करवाने के लिए आवश्यक जानकारी हो।

CDE के स्टेट शिकायतें, उचित प्रक्रिया शिकायतें और मध्यस्थता के लिए फार्मों तक पहुँच CDE के एक्सेप्शनल स्टुडेंट लीडरशिप यूनिट में (303)866-6694 पर फोन करके या CDE डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वेबें पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं: http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm.

<u>मध्यस्थता</u>

34 CFR §300.506

सामान्य

आपके और प्रशासनिक इकाई को IDEA के पार्ट B के अंतर्गत शामिल किसी मामले के समाधान करने की अनुमति के लिए मध्यस्थता उपलब्ध है, इसमें वे मामले भी शामिल हैं जो एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करने से पहले उत्पन्न होते हैं। इस प्रकारी, IDEA के पार्ट B के अंतर्गत विवादों के समाधान करने के लिए मध्यस्थता उपलब्ध है, चाहे आपने एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करवाई है या नहीं।

शर्तें

इन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता प्रक्रिया:

1. आपकी और से और प्रशासनिक इकाई की ओर से स्वैच्छिक है;
2. का उपयोग एक उचित प्रक्रिया सुनवाई के आपके अधिकार से इन्कार या विलंब करने के लिए, या IDEA के पार्ट B के अंतर्गत आपके किसी अधिकार से इन्कार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है; **<u>और</u>**
3. एक योग्य और निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा संचालित की गई जो प्रभावी मध्यस्थता तकनीकों में प्रशिक्षित है।

प्रशासनिक इकाई ऐसी प्रक्रियाएं तैयार कर सकती है जो माता-पिता और स्कूल को मध्यस्थता प्रक्रिया का चुनाव नहीं करने का प्रस्ताव करें, आपके समय और स्थान की सुविधा अनुसार एक गैर हितधारक पक्ष के साथ मीटिंग करना;

1. जो स्टेट में एक उपयुक्त वैकल्पिक विवाद समाधान इकाई, या एक माता-पिता प्रशिक्षण केंद्र या सामुदायिक पेरेंट रिसोर्स सेंटर के साथ अनुबंध में हो; **<u>और</u>**
2. जो इसके फायदों को स्पष्ट करे और मध्यस्थता प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आपको प्रोत्साहित करे।

CDE के पास ऐसे लोगों की एक सूची होती है जो योग्य मध्यस्थ होते हैं और जिन्हें स्पेशल एज्युकेशन और संबंधितत सेवाओं के प्रावधानों से जुड़े नियमों और कानूनों का ज्ञान होता है। मध्यस्थ एक यादृच्छिक, रोटेशनल या अन्य निष्पक्ष आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

CDE मध्यस्थ की लागत के प्रति जिम्मेदार होता है। मध्यस्थता प्रक्रिया में प्रत्येक मीटिंग एक समयबद्ध ढंग से निर्धारित की जाती है और आपके और प्रशासनिक इकाई के लिए सुविधाजनक स्थान पर आयोजित की जाती है।

यदि आप और प्रशासनिक इकाई किसी विवाद का समाधान एक मध्यस्थ प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, दोनों पक्षों को कानूनी रूप से बाध्यकारी एक लिखित अनुबंध करना आवश्यक है जो:

1. आपके और प्रशासनिक इकाई के सभी समझौतों का उल्लेख करता है;
2. वर्णित करता है कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान हुई सभी बातचीत गोपनीय रहेगी और बाद में किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई या सिविल वाद में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी; **<u>और</u>**
3. आपके और प्रशासनिक इकाई के प्रतिनधि दोनों द्वारा हस्ताक्षरित है जिसके पास प्रशासनिक इकाई से पालन करवाने का प्राधिकार है।

एक लिखित, हस्ताक्षरित मध्यस्थता समझौता सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी स्टेट कोर्ट (ऐ कोर्ट जिसके पास स्टेट कानून के अंतर्गत एक प्रकार के मामले पर सुनवाई का अधिकार है) या यूनाईटेड स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रवर्तनयोग्य है।

मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान हुई परिचर्चा गोपनीय रहनी चाहिए। उन्हें भविष्य में किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई या किसी फेडरल कोर्ट या IDEA के पार्ट B के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले राज्य की स्टेट कोर्ट में सिविल वादों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

मध्यस्थ की निष्पक्षता

मध्यस्थ:

1. CDE आपके बच्चे की शिक्षा और देखभाल से जुड़ी प्रशासिनक इकाई का कर्मचारी नहीं हो सकता है; **<u>और</u>**
2. के व्यक्तिगत या पेशेवर हित नहीं होने चाहिएं जिनसे मध्यस्थ की निष्पक्षता पर विवाद हो।

निर्धारित मध्यस्थ केवल इस कारण से CDE का कर्मचारी नहीं हो सकता कि उनकी सेवाओं के लिए CDE द्वारा भुगतान किया जाता है।

<u>समाधान प्रक्रिया</u>
34 CFR §300.510

समाधान मीटिंग

आपकी उचित प्रक्रिया शिकायत का नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनसों के अंदर, और उचित प्रक्रिया सुनवाई आरंभ होने से पहले प्रशासनिक इकाई को आपके और व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम (IEP) टीम के सदस्यो के साथ, जिन्हें आपकी उचित प्रक्रिया शिकायत में चिह्नित किए गए तथ्यों की विशिष्ट जानकारी है, एक मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। इस मीटिंग में:

1. प्रशासनिक इकाई का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए जिसके पास प्रशासनिक इकाई की ओर से निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो; **<u>और</u>**
2. प्रशासनिक इकाई का अटॉनी शामिल नहीं हो सकता जब तक आपके साथ आपके अटॉर्नी नहीं हों।

आप और प्रशासनिक इकाई IEP टीम के सम्बद्ध सदस्यों का निर्धारित करते हैं जो मीटिंग में भाग लेते हैं।

मीटिंग का उद्देश्य आपके लिए अपनी उचित प्रक्रिया शिकायत और शिकायत का आधार बनाने वाले तथ्यों पर चर्चा करना है ताकि प्रशासनिक इकाई के पास विवाद का समाधान करने का अवसर प्राप्त हो।

समाधान मीटिंग आवश्यक नहीं है, यदि:

1. आप और प्रशासनिक इकाई लिखित रूप में मीटिंग से छूट प्राप्त करने के लिए सहमत हों; **<u>या</u>**
2. आप और प्रशासनिक इकाई मध्यस्थता प्रक्रिया अपनाने के लिए सहमत हों, जैसा **मध्यस्थता** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

समाधान अवधि

यदि प्रशासनिक इकाई ने आपकी उचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त के 30 दिनों के अंदर (समाधान प्रक्रिया की समयावधि के दौरान) आपकी संतुष्टि होने तक उचित प्रक्रिया शिकायत का समाधान नहीं किया है तो उचित प्रक्रिया सुनवाई उत्पन्न हो सकती है।

एक अंतिम निर्णय जारी करने की 45-दिनों की अवधि 30-दिनों की समाधान अवधि के समाप्त होते ही आरंभ हो जाती है, इसके साथ 30-दिनों के समाधान अवधि के समायोजन के निश्चित अपवाद हैं, जैसा नीचे वर्णित है।

ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां आप और प्रशासनिक इकाई दोनों समाधान प्रक्रिया या मध्यस्थता उपयोग करने से छूट प्राप्त करने के लिए सहमत हैं, समाधान मीटिंग में आपके भाग लेने की विफलता समाधान प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया सुनवाई में विलंब करेगी जब तक आप एक समाधान मीटिंग में भाग लेने के लिए सहमत नहीं होते हैं।

यदि तर्कसंगत प्रयास करने और उन प्रयासों के दस्तावेज बनाने के बाद प्रशासनिक इकाई समाधान मीटिंग में आपकी प्रतिभागिता हासिल करने में सक्षम नहीं होती है, प्रशासनिक इकाई 30-दिनों की समाधान अवधि के समाप्त होने पर ALJ को आपकी उचित प्रक्रिया सुनवाई रद्द करने के लिए अनुरोध कर सकती है। ऐसे प्रयासों के दस्तावेजों में प्रशासनिक इकाई द्वारा परस्पर सहमति के साथ समय और स्थान की व्यवस्था करने के प्रयासों का रिकॉर्ड भी शामिल होना चाहिए, जैसे:

1. इस संबंध में किए गए टेलीफोन कॉल का विस्तृत ब्यौरा और उन कॉल के परिणाम;
2. आपको भेजे गए पत्र-व्यवहार की प्रतियां और प्राप्त हुए कोई भी जवाब; **<u>और</u>**
3. आपके घर या कार्यस्थल पर की गई यात्राओं का विस्तृत ब्यौरा और उन यात्राओं के परिणाम।

यदि प्रशासनिक इकाई आपकी उचित प्रक्रिया सुनवाई का नोटिस प्राप्त होने के 15-दिनों के अंदर समाधान मीटिंग आयोजित करने में विफल रहती है **<u>या</u>** समाधान मीटिंग में भाग लेने में विफल रहती है, आप ALJ को यह आदेश देने के लिए अनुरोध कर सकते हैं कि 45-दिनों की उचित प्रक्रिया सुनवाई समय सीमा आरंभ होती है।

30-दिन समाधान अवधि में समायोजन

यदि आप और प्रशासनिक इकाई लिखित रूप में समाधान मीटिंग से छूट प्राप्त करने के लिए सहमत हैं तो उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए 45-दिनों की समय-सीमा अगले दिन से आरंभ हो जाती है।

मध्यस्थता या समाधान मीटिंग आंरभ होने के बाद और 30-दिनों की समाधान अवधि की समाप्ति से पहले यदि आप और प्रशासनिक इकाई लिखित रूप में सहमत होते हैं कि कोई समझौता संभव नहीं है तो उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए 45-दिनों की समय-सीमा अगले दिन से आरंभ हो जाती है।

यदि आप और प्रशासनिक इकाई मध्यस्थता प्रक्रिया इस्तेमाल करने के लिए सहमत होते हैं, 30-दिनों की समाधान अवधि की समाप्ति पर दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुँचने तक मध्यस्थता जारी रखने के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं। परंतु, यदि आप या प्रशासनिक इकाई मध्यस्थता प्रक्रिया से हट जाते हैं तो उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए 45-दिनों की समय-सीमा अगले दिन से आरंभ हो जाती है।

लिखित निपटन समझौता

यदि समाधान मीटिंग में विवाद का एक समाधान हो जाता है, आपको और प्रशासनिक इकाई को कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध करना होता है जो:

1. आपके और प्रशासनिक इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसके पास प्रशासनिक इकाई से पालन करवाने के प्राधिकार हो; **<u>और</u>**
2. सक्षम क्षेत्राधिकार की स्टेट कोर्ट (एक स्टेट कोर्ट जिसके पास इस प्रकार के मामले की सुनवाई का प्राधिकार है) या यूनाईटेड स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रवर्तन योग्य हो।

समझौता समीक्षा अवधि

यदि आप और प्रशासनिक इकाई एक समाधान मीटिंग के परिणामस्वरूप एक समझौता करते हैं, कोई भी पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) उस समय के तीन कार्य दिवस के अंदर समझौते को शून्य कर सकते हैं जब आपने और प्रशासनिक इकाई ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

उचित प्रक्रिया शिकायतों पर सुनवाई

<u>निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई</u>
34 CFR §300.511

सामान्य

जब भी एक उचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत दर्ज की जाती है, विवाद में सम्मिलित आप या प्रशासनिक इकाई के पास एक निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई को अवसर होना चाहिए जैसा **उचित प्रक्रिया शिकायत** और **समाधान प्रक्रिया** सेक्शनों में वर्णित किया गया है।

उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए जिम्मेदार एजेंसी

इस सेक्शन में वर्णित सुनवाई कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेश (CDE) द्वारा रोटेशन आधार पर आवंटित एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज उपयोग करके संचालित करके की जानी चाहिए।

एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ)

एक ALJ, न्यसे कम:

1. CDE या बच्चे की शिक्षा और देखभाल से जुड़ी प्रशासनिक इकाई में कर्मचारी नहीं होना चाहिए;
2. उसके व्यक्तिगत या पेशेवर हित नहीं होने चाहिएं जिनका सुनवाई में ALJ की निष्पक्षता से विवाद हो;
3. IDEA के प्रावधानों और IDEA से संबंधित फेडरल और स्टेट नियमों और फेडरल और स्टेट कोर्ट द्वारा IDEA की व्याख्या का जानकार और समझ होनी चाहिए; **<u>और</u>**
4. उपयुक्त मानक कानूनी प्रक्रिया के सुसंगत सुनवाई को संचालित करने, निर्णय लेने और लिखने का ज्ञान और क्षमता होनी चाहिए।

CDE को उन व्यक्तियों की सूची होनी चाहिए जो ALJ के रूप में कार्य करते हैं जिसमें प्रत्येक ALJ की योग्यताओं का विवरण शामिल हो।

उचित प्रक्रिया सुनवाई की विषय वस्तु

एक पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) जो उचित प्रक्रिया सुनवाई के दौरान उचित प्रक्रिया सुनवाई में उन मुद्दों को नहीं उठा सकते जो उचित प्रक्रिया शिकायत में नहीं लिए गए हैं, जब तक दूसरा पक्ष सहमत नहीं हो।

एक सुनवाई का अनुरोध करने के लिए समय सीमा

आपको या प्रशासनिक इकाई को एक उचित प्रक्रिया शिकायत पर उस तारीख से दो वर्ष की अवधि में निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुरोध करना चाहिए जब आपको शिकायत में उठाए गए मुद्दे के बारे में जानकारी हुई या जानकारी होनी चाहिए थी।

समयसीमा के लिए अपवाद

उपरोक्त समयसीमा आपके ऊपर लागू नहीं होती यदि आप एक उचित प्रक्रिया सुनवाई इसलिए दर्ज नहीं कर पाए क्योंकि:

1. प्रशासनिक इकाई ने विशेष रूप से गलत दर्शाया है कि इसने आपकी शिकायत में उठाई गई समस्या या मुद्दे का समाधान कर दिया है; **<u>या</u>**

2. प्रशासनिक इकाई ने आपको जानकारी नहीं दी है जो IDEA के पार्ट B के अंतर्गत आपको दी जानी आवश्यक थी।

<u>सुनवाई के अधिकार</u>

34 CFR §300.512

सामान्य

एक उचित प्रक्रिया सुनवाई में आपके पास स्वयं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। एक उचित प्रक्रिया सुनवाई (अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित सुनवाई सहित) या एक अपील में, जैसा **निर्णयों पर अपील; निष्पक्ष समीक्षा** में वर्णित किया गया है, किसी भी पक्ष के पास अधिकार है:

1. एक अधिवक्ता और/या विकलांग बच्चों से संबंधित विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को साथ रखने या परामर्श लेना, कोलोराडो में छोड़कर, जहां केवल कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट से लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी एक उचित प्रक्रिया सुनवाई में किसी पक्ष का *प्रतिनिधित्व* कर सकता है;
2. साक्ष्य प्रस्तुत रना और सामना करना, क्रॉस-एग्जामिनेशन और गवाहों को उपस्थित करना;
3. सुनवाई में किसी साक्ष्य को शामिल करने से रोकना जिसे दूसरे पक्ष को सुनवाई से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले प्रकट नहीं किया गया है;
4. एक सुनवाई का लिखित, या आपके विकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक या शब्द-दर-शब्द रिकॉर्ड प्राप्त करना; <u>**और**</u>
5. तथ्य के परिणाम और निर्णयों को लिखित या आपके विकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त किया।

सूचना का अतिरिक्त प्रकटीकरण

एक उचित प्रक्रिया सुनवाई से कम से कम पांच दिन पहले आपको और प्रशासनिक इकाई को एक-दूसरे को उस तारीख तक पूरे किए गए सभी मूल्यांकनों, और उन मूल्यांकनों पर आधारित सिफारिशों को प्रकट करनी चाहिए जो आप या प्रशासनिक इकाई सुनवाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं।

एक ALJ किसी भी पक्ष को सुनवाई के दौरान जो मूल्यांकन या सिफारिशों को शामिल करने की शर्त पूरी करने में विफल रहता है दूसरे पक्ष की सहमति के बगैर वंचित कर सकता है।

सुनवाई के समय माता-पिता के अधिकार

आपको अधिकार प्रदान किए जाएंगे:

1. सुनवाई के अंतर्गत बापके बच्चे को अपने साथ उपस्थित रखना;
2. पब्लिक में खुली सुनवाई की जाए; <u>**और**</u>
3. सुनवाई के रिकॉर्ड, तथ्यों के निष्कर्ष और निर्णय आपको बगैर लागत उपलब्ध करवाए जाएं।

<u>सुनवाई के निर्णय</u>

34 CFR §300.513

एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) का निर्णय

एक ALJ का निर्णय बुनियादी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे को एक नि:शुल्क उचित पब्लिक शिक्षा (FAPE) प्राप्त है।

एक प्रक्रियात्मक उल्लंघन मामलों में एक ALJ को ज्ञात हो सकता है कि केवल प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता के कारण आपके बच्चे को एक नि:शुल्क उचित पब्लिक शिक्षा (FAPE) प्राप्त नहीं हुई;

1. आपके बच्चे के FAPE के अधिकार में हस्तक्षेप करता है;

2. महत्वपूर्ण रूप से आपके बच्चे के FAPE के प्रावधान के संबंध में आपकी निर्णय-करने की प्रक्रिया में आपकी भागीदारी करने के अवसर में हस्तक्षेप करता है; **या**
3. एक शैक्षिक लाभ से वंचित होने का कारण।

उपरोक्त वर्णित किए गए प्रावधानों में से किसी की भी व्याख्या एक ALJ द्वारा प्रशासनिक इकाई को यह आदेश देने से वंचित करने में नहीं की जा सकती कि यह फेडरल नियमों के प्रक्रियात्मक सुरक्षा के खण्ड IDEA के पार्ट B (34 CFR §§300.500 से 300.536 तक) का पालन करे।

एक उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए अलग अनुरोध

फेडरल नियमों के प्रक्रियात्मक सुरक्षा के खण्ड IDEA के पार्ट B (34 CFR §§300.500 से 300.536 तक) में किसी की भी व्याख्या आपको पहले से दर्ज की गई एक उचित प्रक्रिया शिकायत के अतिरिक्त अलग मुद्दे पर एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करवाने से वंचित करने के लिए नहीं की जा सकती है।

स्टेट स्पेशल एज्युकेशन एडवाइजरी कमेटी और सामान्य लोगों तक निष्कर्ष और निर्णय

एक व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को हटाने के बाद CDE को चाहिए:

1. स्टेट स्पेशल एज्युकेशन एडवाइजरी कमेटी को निष्कर्षों और निर्णय उपलब्ध करवाना; **और**
2. उन निष्कर्षों और निर्णय को सामान्य लोगों को उपलब्ध करवाना।

निर्णय की अंतिमता

34 CFR §300.514

सुनवाई निर्णय की अंतिमता

एक उचित प्रक्रिया सुनवाई (अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित एक सुनवाई सहित) में लिया गया निर्णय अंतिम होता है, उसे छोड़कर जब सुनवाई में सम्मिलित एक पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) एक सिविल एक्शन द्वारा अपील करता है, जैसा नीचे शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया गया है: **सिविल एक्शन, समय अवधि सहित जिसमें उन एक्शन को दर्ज किया जाए**

सुनवाईयों की समयसीमाएं और सुविधाएं

34 CFR §300.515

प्रशासनिक इकाई को सुनिश्चित करना चाहिए कि समाधान मीटिंग के 30-दिन की अवधि समाप्त होने के बाद 45-दिनों से अधिक नहीं या, या जैसा उप-शीर्षक **30-दिनों के समाधान अवधि में समायोजन** में वर्णित किया गया है, समायोजित समय अवधि की समाप्ति के आद 45-दिनों से अधिक नहीं:

1. उचित प्रक्रिया सुनवाई में एक अंतिम निर्णय पर पहुँचे; और
2. निर्णय की एक प्रति आपको और प्रशासनिक इकाई को मेल की जाए।

उचित प्रक्रिया सुनवाईयां, मौखिक बहस सहित ऐसे समय और स्थान पर संचालित होने चाहिएं जो आपके और आपके बच्चे के लिए सुविधाजनक हो।

<u>सिविल एक्शन, समय अवधि सहित जिसमें उन वादों को दर्ज किया जाए</u>
34 CFR §300.516

सामान्य

कोई भी पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) जो उचित प्रक्रिया सुनवाई (अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई सहित) पर ALJ के निष्कर्षों और निर्णयों से सहमत नहीं हैं, उसके पास ऐसे मामले में सिविल एक्शन का अधिकार है जो उचित प्रक्रिया सुनवाई का विषय था। यह कार्रवाई सक्षम क्षेत्राधिकर की स्टेट कोर्ट (इस प्रकार के मामले की सुनवाई में सक्षम एक स्टेट कोर्ट) या विवाद की राशि की परवाह किए बगैर यूनाईटेड स्टेट्स की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई जा सकती है।

समय सीमा

कोई भी पक्ष (आप या प्रशासनिक इकाई) जो मौलिक उचित प्रक्रिया शिकायत करती है या शिकायत पर प्रतिक्रिया करने वाले पक्ष के पास ALJ के निर्णय करने की तारीख से अधिकतम 90-दिनों तक एक सिविल एक्शन करने का समय होना चाहिए।

अतिरिक्त प्रक्रियाएं

एक सिविल एक्शन में; कोर्ट:

1. प्रशासनिक कार्रवाईयों का रिकॉर्ड प्राप्त करता है;
2. आपके अनुरोध पर या प्रशासनिक इकाई के अनुरोध पर अतिरिक्त साक्ष्यों की सुनवाई करता है; **<u>और</u>**
3. साक्ष्यों की प्रधानता को अपने निर्णय का आधार बनाता है, कोर्ट जो उपयुक्त निश्चित करे वह राहत प्रदान करता है।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार

यूनाईटेड स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विवाद की राशि की परवाह किए बगैर IDEA के पार्ट B अंतर्गत लाए गए मामले में निर्णय करने का अधिकार है।

गठन का नियम - शून्यीकरण

IDEA के पार्ट B में कोई भी यू;एस. कॉस्टिट्युशन, द' अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट ऑफ 1990, टाईटल V ऑफ द' रिहेबिलिएशन एक्ट ऑफ 1973 (सेक्शन 504), या विकलांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अन्य फेडरल कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों, प्रक्रियाओं और उपचारों को प्रतिबंधित या सीमित नहीं करता है, उसे छोड़कर जब इन कानूनों के अंतर्गत एक सिविल वाद दायर करके राहत की मांग करना जो IDEA के पार्ट B के अंतर्गत भी उपलब्ध है, उपरोक्त वर्णित उचित प्रक्रिया कार्रवाईयां उसी सीमा तक शून्यीकरण होनी चाहिए जो यदि एक पक्ष IDEA के पार्ट B के अंतर्गत एक वाद दायर करने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है यद्यपि आपके पास अन्य कानूनों के अंतर्गत उपचार उपलब्ध हैं जो IDEA के अंतर्गत उपचारों को अधिरोपित करते हैं, आमतौर पर, ऐसे अन्य कानूनों के अंतर्गत एक राहत प्राप्ति के लिए कोर्ट में एक सिविल वाद दायर करने से पहले आपको IDEA अंतर्गत उपलब्ध प्रशानिक उपचारों (जैसे उचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान मीटिंग, और निष्पक्ष उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाएं) का उपयोग करना चाहिए।

<u>अटॉर्नी की फीस</u>
34 CFR §300.517

सामान्य

IDEA के पार्ट B के अंतर्गत किसी भी वाद या कार्रवाई में आप जीतते (विजित) हैं तो कोर्ट इसके विवेकानुसार आपकी लागत के अंश के रूप में अटॉर्नी की तर्कसंगत फीस का अवार्ड घोषित कर सकती है।

IDEA के पार्ट B के अंतर्गत किसी भी वाद या कार्रवाई में कोर्ट (अर्थात स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) इसके विवेकानुसार, जीतने वाली स्टेट एज्युकेशन एजेंसी या प्रशासनिक इकाई की लागत के अंश के रूप में, आपके अटॉर्नी द्वारा भुगतान करने के लिए अटॉर्नी की तर्कसंगत फीस का अवार्ड घोषित कर सकती है, यदि अटॉर्नी: (a) एक शिकायत या कोर्ट केस दायर करता है जो कोर्ट द्वारा तुच्छ, अनुचित या आधारहीन पाया जाता है; या (b) वाद के स्पष्ट रूप से तुच्छ, अनुचित या आधारहीन सिद्ध होने के बाद भी वाद जारी रखता है; **<u>या</u>**

IDEA के पार्ट B के अंतर्गत किसी भी वाद या कार्रवाई में कोर्ट (अर्थात स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) इसके विवेकानुसार, जीतने वाली स्टेट एज्युकेशन एजेंसी या प्रशासनिक इकाई की लागत के अंश के रूप में, आपके या आपके अटॉर्नी द्वारा भुगतान करने के लिए अटॉर्नी की तर्कसंगत फीस का अवार्ड घोषित कर सकती है, यदि आप किसी अनुचित उद्देश्य जैसे परेशान करना; अनावश्यक विलंब करने के लिए, या वाद की लागत में अनावश्यक वृद्धि करने के लिए एक उचित प्रक्रिया सुनवाई या बाद में सिविल एक्शन दायर किया जाता है।

फीस की अवार्ड घोषणा

एक कोर्ट निम्नानुसार अटॉर्नी की तर्कसंगत फीस का अवार्ड घोषित करती है:

1. फीस उस समुदाय में प्रचलित दरों पर आधारित होनी चाहिए जिसमें प्रदान की गई सेवा के प्रकार और गुणवत्ता पर वाद या सुनवाई की स्थिति उत्पन्न हुई है। घोषित की जाने वाली फीस में किसी भी बोनस या गुणक की गणनना नहीं की जानी चाहिए।
2. IDEA के पार्ट B के अंतर्गत किसी वाद या कार्रवाई में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको निपटान करने की एक लिखित पेशकश के बाद कोई भी अटॉर्नी की फीस या संबंधित सेवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती यदि:
   a. यदि पेशकश सिविल कार्रवाई के नियम 68 में निश्चित समय के अंदर की जाती है या, उचित प्रक्रिया सुनवाई की स्थिति में सुनवाई शुरू होने के 10 दिनों से पहले किसी भी समय की जाती है।
   b. पेशकश 10 दिनों के अंदर स्वीकार नहीं की जाती है; **<u>और</u>**
   c. कोर्ट या ALJ को ज्ञात होता है कि अंतिम रूप से आपके द्वारा प्राप्त राहत आपके लिए निपटान की पेशकश की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं है।

   इन प्रतिबंधों के बावजूद, यदि आप जीतते हैं और आप निपटान की पेशकश को पर्याप्त रूप से न्यायोचित सिद्ध करते हैं तो आपको अटॉर्नी की फीस और संबंधित लागतों का अवार्ड घोषित किया जा सकता है।
3. फीस किसी व्यक्तिगत एज्युकेशन प्रोग्राम (IEP) से संबंधित मीटिंग के लिए घोषित नहीं की जा सकती है जब तक ऐसी मीटिंग एक प्रशासनिक कार्रवाई या कोर्ट वाद के परिणाम में नहीं हुई हो। फीस एक मध्यस्थता के लिए भी घोषित नहीं की जा सकती जैसा **मध्यस्थता** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

   एक समाधान मीटिंग, जैसा कि **समाधान प्रक्रिया** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया गया है, एक प्रशासनिक सुनवाई या कोर्ट वाद के परिणाम में आयोजित मीटिंग के रूप में नहीं समझी जाती, और अटॉर्नी की फीस के इन प्रावधानों के उद्देश्य से एक प्रशासनिक सुनवाई या कोर्ट वाद भी नहीं समझी जाती है।

कोर्ट, यदि उचित हो तो IDEA के पार्ट B के अंतर्गत अवार्ड घोषित की गई अटॉनी की फीस में कमी कर सकती है, यदि कोर्ट को ज्ञात होता है कि:

1. आपने, या आपके अटॉर्नी ने वाद या कार्रवाई के दौरान अनुचित रूप से विवाद के अंतिम समाधान होने में विलंब किया है;

2. अटॉनी की फीस की राशि अन्यथा समुदाय में तर्कसंगत रूप से समान कौशल, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले अटॉर्नी द्वारा समान सेवाओं के लिए प्रचलित प्रति घंटा दरों से अनुचित तरीके से अधिक घोषित की गई है।

3. वाद या कार्रवाई की प्रकृति पर विचार करते हुए लगाया गया समय और प्रदान की गई कानूनी सेवाएं अत्यधिक थी; **<u>या</u>**

4. आपका प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी ने उचित प्रक्रिया अनुरोध नोटिस में प्रशासनिक इकाई को उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जैसा **उचित प्रक्रिया शिकायत** में वर्णित किया गया है।

परंतु, कोर्ट फीस में कमी नहीं कर सकती यदि कोर्ट को ज्ञात होता है कि स्टेट या प्रशासनिक इकाई ने अनुचित रूप से विवाद के अंतिम समाधान होने में विलंब किया है या IDEA के पार्ट B के अंतर्गत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था।

विकलांग बच्चों को अनुशासित करते समय प्रक्रियाएं

<u>स्कूल अधिकारी के प्राधिकार</u>
34 CFR §300.530

प्रत्सेक अलग मामले का निर्धारण

स्कूल कर्मचारी किसी विशिष्ट परिस्थितियों का प्रत्येक अलग मामले के आधार पर विचार कर सकते हैं, जब निर्धारित करते हैं क्या प्लेसमेंट में एक बदलाव अनुपालन से संबंधित निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया गया है, जो विकलांग बच्चे के लिए उपयुक्त है जिसने स्कूल में विद्यार्थी आचरण संहिता का उल्लंघन किया है।

सामान्य

उस सीमा तक वे लोग यही कार्रवाई उन बच्चों के लिए भी करते हैं जो विकलांग नहीं है, स्कूल कर्मचारी एक विलांकग बच्चे को जिसने स्कूल में विद्यार्थी आचरण संहिता का उल्लंघन किया है उसके वर्तमान प्लेसमेंट से एक उचित अंतरिम वैकल्पिक शिक्षा परिवेश (जिसे बच्चे की व्यक्तिगत एज्युकेशन प्रोग्राम (IEP) टीम द्वारा निर्धारित करना चाहिए) अन्य परिवेश या निलंबन के लिए लगातार 10 स्कूली दिनों से अधिक समय तक नहीं निकाल सकते हैं। स्कूल कर्मचारी बच्चे पर उसी स्कूल वर्ष में कदाचार के अलग मामले की घटनाओं के लिए लगातार **10 स्कूली दिनों** से कम समय का निष्कासन लगा सकते हैं, जब ऐसा निष्कासन प्लेसमेंट में बदलाव को स्थापित नहीं करता है (परिभाषा के लिए नीचे **अनुशासनात्मक निष्कासन के कारण प्लेसमेंट में बदलाव** देखें)।

एक विकलांग बच्चे को उसके वर्तमान प्लेसमेंट से एक ही स्कूली वर्ष में एक बार कुल **10 स्कूल दिनों** के लिए निकालने पर प्रशासनिक इकाई को निष्कासन के बाद के दिनों की अवधि में आवश्यक सीमा तक सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिएं जो नीचे उप-शीर्षक **सेवाएं** में वर्णित हैं।

अतिरिक्त प्राधिकार

यदि वह आचरण जिसने विद्यार्थी आचरण संहिता का उल्लंघन किया है बच्चे की विकलांगता का प्रकटीकरण नहीं है (नीचे **प्रकटीकरण निर्धारण** देखें) और प्लेसमेंट में अनुशासनात्मक बदलाव लगातार **10 स्कूली दिनों** से अधिक समय का होगा तो स्कूल कर्मचारी उस विकलांग बच्चे के लिए समान तरीके और समान अवधि के लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं जैसा यह एक सामान्य बच्चे के लिए होगा, इसके अलावा स्कूल को उस बच्चे के लिए सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिएं जैसे नीचे **सेवाएं** के अंतर्गत वर्णित है। बच्चे की IEP टीम ऐसी सेवाओं के लिए अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश निर्धारित करती है।

सेवाएं

एक विकलांग बच्चा जिसे बच्चे के वर्तमान प्लेसमेंट से निकाल दिया गया है उसे अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश में सेवाएं प्रठान की जा सकती हैं।

केवल एक प्रशासनिक इकाई को एक विकलांग बच्चे के लिए सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है जिसे उसके वर्तमान प्लेसमेंट से एक स्कूली वर्ष में **10 स्कूली दिनों या कम** अवधि के लिए निष्कासित किया गया है, यदि यह ऐसे बच्चे को सेवाएं प्रदान करता है जो विकलांग नहीं है जिसे समान रूप से निष्कासित किया गया हो। कोलोराडो में, विकलांगता-रहित बच्चे जिन्हें कम अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है आमतौर पर निलंबन अवधि के दौरान सेवाएं प्राप्त नहीं करते हैं। परंतु, निलंबनकर्ता अधिकारी को निलंबन अवधि के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रोग्राम में विद्यार्थी के दोबारा समावेशन

के साधन के रूप में निलंबन समय के दौरान स्कूल कार्य को तैयार करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। Section 22-33-105(3)(d)(III), C.R.S.

एक बच्चा जो उसके वर्तमान प्लेसमेंट से **10 स्कूली दिनों** से अधिक समय के लिए निकाल दिया है, उसे चाहिए:

1. शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करना जारी रखे, ताकि बच्चे को सामान्य शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके, यद्यपि एक अन्य परिवेश में, और बच्चे की IEP में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के लिए; **और**
2. एक उपयुक्त, कार्यमूलक व्यवहार संबंधी मूल्यांकन, और व्यहारजन्य हस्तक्षेप सेवाएं और संशोधन प्राप्त करे जिन्हें व्यवहार उल्लंघन के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह दोबारा घटित नहीं हो।

एक विकलांग बच्चे को उसके वर्तमान प्लेसमेंट से एक ही स्कूली वर्ष में **10 स्कूली दिनों** के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, और **यदि** वर्तमान निष्कासन लगातार **10 स्कूली दिनों** या कम समय के लिए है **और** यदि निष्कासन एक प्लेसमेंट में बदलाव नहीं है (नीचे परिभाषा देखें), **तो** स्कूल अधिकारी कम से कम बच्चे एक शिक्षक के साथ परामर्श करके सीमा निर्धारित करते हैं किस सीमा तक कौन सी सेवाएं बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, यद्यपि एक अन्य परिवेश में, और बच्चे की IEP में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के लिए।

यदि निष्कासन प्लेसमेंट में बदलाव है (नीचे परिभाषा देखें), बच्चे की IEP टीम बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त सेवाओं को निर्धारित करती है, यद्यपि एक अन्य परिवेश में, और बच्चे की IEP में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के लिए।

प्रकटीकरण निर्धारण

विद्यार्थी आचरण संहिता के उल्लंघन के कारण एक विकलांग बच्चे के किसी प्लेसमेंट में बदलाव (लगातार **10 स्कूली दिनों** या कम समय के लिए निष्कासन और प्लेसमेंट नहीं है) का निर्णय होने के **10 स्कूली दिनों** के समय में प्रशासनिक इकाई, आपको और IEP टीम के सम्बद्ध सदस्यों (जो आपने और प्रशासनिक इकाई ने निर्धारित किए हैं) को विद्यार्थी की फाइल में सभी प्रासंगिक सूचनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, जिनमें बच्चे की IEP, शिक्षक की टिप्पणियां, और आपके द्वारा निर्धारण हेतु उपलब्ध कोई भी प्रासंगिक जानकारी शामिल है।

1. यदि प्रश्नगत आचरण बच्चके की विकलांगता के कारण, या प्रत्यक्ष और मुख्य रूप से संबंधित है; **या**
2. यदि प्रश्नगत आचरण प्रशासनिक इकाई द्वारा बच्चे के IEP क्रियान्वयन में विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है।

यदि प्रशासनिक इकाई, आप और IEP टीम के सम्बद्ध सदस्य निर्धारित करते हैं कि उन शर्तों में से किसी को पूरा किया गया है, आचरण को बच्चे की विकलांगता प्रकटीकरण निर्धारित करना चाहिए।

यदि प्रशासनिक इकाई, आप और IEP टीम के सम्बद्ध सदस्य निर्धारित करते हैं कि प्रश्नगत आचरण प्रशासनिक इकाई द्वारा बच्चे के IEP क्रियान्वयन में विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रशासनिक इकाई को उन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

निर्धारण करना कि व्यवहार बच्चे की विकलांगता का प्रकटीकरण था

यदि प्रशासनिक इकाई, आप और IEP टीम के सम्बद्ध सदस्य निर्धारित करते हैं कि आचरण बच्चे की विकलांगता प्रकटीकरण था, तो IEP टीम को इनमें से कोई करना चाहिए:

1. एक कार्यमूलक व्यवहार संबंधी आकलन करें, जब तक प्रशासनिक इकाई ऐसे आचरण से पहले एक कार्यमूलक व्यवहार संबंधी आकलन नहीं किया हो जिससे प्लेसमेंट में बदलाव की झाटना हुई, और बच्चे के लिए व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित करें; **या**

2. यदि एक व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना पहले ही तैयार कर ली गई है, तो इस व्यवहार का सामना करने के लिए व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार इसे संशोधित करे।

जैसा नीचे उप-शीर्षक **विशेष परिस्थितियां** के अंतर्गत वर्णित है उसे छोड़कर प्रशासनिक इकाई का आपका बच्चा उस प्लेसमेंट में वापस भेजना चाहिए, जब तक आप और डिस्ट्रिक्ट व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना के हिस्से में बदलाव के रूप में प्लेसमेंट बदलने के लिए सहमत नहीं होते हैं।

विशेष परिस्थितियां

चाहे आचरण आपके बच्चे की विकलांगता का प्रकटीकरण है या नहीं, स्कूल के अधिकारी एक विद्यार्थी को 45 स्कूल दिनों तक एक अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश (बच्चे की IEP टीम द्वारा निर्धारित) के लिए निष्कासित कर सकते हैं, यदि आपका बच्चा:

1. स्कूल में एक हथियार लाता है (नीचे परिभाषा देखें) या स्कूल में, स्कूल परिसरों में ,या CDE या एक प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्कूल के समारोह में एक हथियार रखता है;
2. जानबूझकर अवैध ड्रग्स (नीचे परिभाषा देखें) रखता या इस्तेमाल करता है, स्कूल में रहते समय, स्कूल परिसरों में या CDE या एक प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्कूल के समारोह में नियंत्रित उत्पाद (नीचे परिभाषा देखें) की बिक्री करता है, या बिक्री करना चाहता; **<u>या</u>**
3. स्कूल में रहते समय, स्कूल परिसरों में या CDE या एक प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्कूल के समारोह में किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट (नीचे परिभाषा देखें) पहुँचाता है।

परिभाषाएं

नियंत्रित उत्पाद का मतलब एक ड्रग या अन्य पदार्थ जिसे कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज एक्ट Act (21 U.S.C. 812(c) के सेक्शन 202(c)) में शेड्यूल I, II, III, IV, or V के अंतर्गत चिह्नित किया गया है।

अवैध ड्रग का मतलब एक नियंत्रित पदार्थ; लेकिन इसमें एक नियंत्रित उत्पाद शामिल नहीं है जो एक लाइसेंस प्राप्त हेल्थ केयर पेशेवर की निगरानी में कानूनी रूप से रखा या उपयोग किया जाता है, या जो कानून या किसी अन्य फेडरल कानून के प्रावधान के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकार के अंतर्गत कानूनी रूप से रखा या उपयोग किया जाता है।

गंभीर शारीरिक चोट का मतलब यूनाईटेड स्टेट्स कोड, टाईटल 18 के सेक्शन 1365 के पैराग्राफ (3) सब-सेक्शन (h) ''गंभीर शारीरिक चोट'' शब्द के रूप में दिया गया है।

हथियार का मतलब यूनाईटेड स्टेट्स कोड, टाईटल 18 के सेक्शन 930 के पैराग्राफ (2) प्रथम सब-सेक्शन (g) ''हथियार'' शब्द के रूप में दिया गया है।

अधिसूचना

निष्कासन करन का निर्णय लेने की तारीख जो कि विद्यार्थी आचरण संहिता के उल्लंघन के कारण आपके बच्चे का प्लेसमेंट है, प्रशासनिक इकाई को उस निर्णय के बारे में आपको सूचित करना चाहिए, और आपको एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नोटिस प्रदान करना चाहिए।

<u>अनुशासनात्मक निष्कासन के कारण प्लेसमेंट में बदलाव</u>
34 CFR §300.536

आपके बच्चे के वर्तमान प्लेसमेंट से विकलांग बच्चे का निष्कासन एक **प्लेसमेंट में बदलाव** है यदि:

1. यदि निष्कासन लगातार 10 स्कूली दिनों से अधिक के लिए है; **<u>या</u>**
2. बच्चा निष्कासनों की श्रृंखला का विषय रहा है जो एक पैटर्न का निर्माण करता है;
    a. श्रृंखला के कारण निष्कासन एक स्कूली वर्ष में 10 स्कूल दिनों से अधिक समय का है;

b. क्योंकि आपके बच्चे का व्यवहार पिछली घटनाओं में आपके बच्चे के व्यवहार के समान है जिसका परिणाम निष्कासनों की श्रृंखला के रूप में हुआ था; **<u>और</u>**

c. ऐसे अतिरिक्त कारकों के कारण जैसे प्रत्येक निष्कासन की अवधि, आपके बच्चे के निष्कासित किए जाने का कुल समय, और निष्कासनों की एक-दूसरे से निकटता।

क्या निष्कासनों का एक पैटर्न प्लेसमेंट में बदलाव निर्मित करता है इसे प्रशासनिक इकाई द्वारा प्रत्येक अलग मामले के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और यदि चुनौती दी जाए तो उचित प्रक्रिया और न्यायिक कार्रवाईयों के द्वारा सीमक्षा के शर्ताधीन होता है।

<u>परिवेश का निर्धारण</u>
34 CFR § 300.531

व्यक्तिग शिक्षा प्रोग्राम (IEP) टीम को निष्कासनों के लिए अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेशा निर्ध्धरित करना चाहिए जो ऊपर **प्लेसमेंट में बदलाव** और **अतिरिक्त प्राधिकार** शीर्षक के अंतर्गत निष्कासन और **विशेष परिस्थितियां** हैं।

<u>अपील (त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई प्रक्रियाएं)</u>
34 CFR § 300.532

सामान्य

आप एक उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए एक उचित प्रक्रिया शिकायत (ऊपर शीर्षक **उचित प्रक्रिया शिकायत प्रक्रियाएं** देखें) दर्ज करवा सकते हैं यदि आप इनसे असहमत हैं:

1. इन अनुशासन प्रावधानों के अंतर्गत प्लेसमेंट के बारे में किए गए किसी निर्णय पर; **<u>या</u>**
2. उपरोक्त वर्णित प्रकटीकरण निर्णारण।

प्रशासनिक इकाई भी एक उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने के लिए एक उचित प्रक्रिया शिकायत (उपरोक्त देखें) दर्ज करवा सकती है यदि इसका मानना है कि आपके बच्चे की वर्तमान प्लेसमेंट को कायम रखा जाए तो इसका परिणाम आपके बच्चे या अन्य को चोट होने की पर्याप्त संभावना होती है।

एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) का प्राधिकार

एक ALJ जो उप-शीर्षक **एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज** के अंतर्गत वर्णित शर्तें पूरी करता है उसे उचित प्रक्रिया सुनवाई करके एक निर्णय देना चाहिए। एक ALJ:

1. आपके विकलांग बच्चे को प्लेसमेंट में वापस भेज सकता है जहां से आपके बच्चे को निष्कासित किया गया है ALJ निर्धारित करे कि निष्कासन **स्कूल अधिकारी के प्राधिकार** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित शर्तों का उल्लंघन था, या निर्धारित करे कि आपके बच्चे का व्यवहार आपके बच्चे की विकलांगता का प्रकटीकरण था; **<u>या</u>**
2. आपके विकलांग बच्चे को एक उपयुक्त अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश में प्लेसमेंट बदलने के लिए आदेश दे सकते हैं जो 45 स्कूली दिनों से अधिक नहीं हो यदि ALJ निर्धारित करें कि आपके बच्चे की वर्तमान प्लेसमेंट को कायम रखा जाए तो इसका परिणाम आपके बच्चे या अन्य को चोट होने की पर्याप्त संभावना होती है।

ये सुनवाई प्रक्रियाएं दोहराई जा सकती हैं, यदि प्रशासनिक इकाई का मानना है कि आपके बच्चे की वर्तमान प्लेसमेंट को कायम रखा जाए तो इसका परिणाम आपके बच्चे या अन्य को चोट होने की पर्याप्त संभावना होती है।

जब भी आप या एक प्रशासनिक इकाई एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करें या ऐसी सुनवाई के लिए अनुरोध करें तो एक सुनवाई की जानी चाहिए जो **उचित प्रक्रिया शिकायत प्रक्रियाएं और उचित प्रक्रिया शिकायतें** के अंतर्गत वर्णित शर्तों को पूरा करती हो, निम्नलिखित त्वरित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त:

1. CDE को एक त्वरित सुनवाई की व्यवस्था करनी चाहिए, जो सुनवार्द का अनुरोध करने की उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करने के **20** स्कूली दिनों के अंदर होनी चाहिए, और ALJ को सुनवाई के **10** स्कूली दिनों के अंदर एक निर्णय करना चाहिए।
2. जब तक आप और प्रशासनिक इकाई लिखित रूप में मीटिंग से छूट प्राप्त करने, मध्यस्थ का उपयोग करने के लिए सहमत नहीं हों, एक समाधान मीटिंग उचित प्रक्रिया शिकायत का नोटिस प्राप्त होने के **सात** दिनों के अंदर संपन्न होनी चाहिए। सुनवाई पर कार्रवाई उचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्ति के **15** दिनों के अंदर दोनों पक्षों की संतुष्टि पर पहुँचने के समाधान होने तक जारी रह सकती है।
3. एक स्टेट अन्य उचित प्रक्रिया सुनवाईयों के लिए स्थापित किए गए नियमों की अपेक्षा त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाईयों के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक नियम बना सकता है, परंतु समयसीमा को छोड़कर वे नियम इस दस्तावेज में वर्णित उचित प्रक्रिया सुनवाईयों से संबंधित नियमों के सुसंगत होने चाहिएं।

एक पक्ष त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई में ALJ के निर्णय उसी तरीके से अपील दायर कर सकता है जैसा वे अन्य उचित प्रक्रिया सुनवाईयों में नर्णियों के लिए कर सकते हैं (ऊपर **अपील**, देखें)।

<u>अपीलों के दौरान प्लेसमेंट</u>

34 CFR §300.533

जैसा उपरोक्त वर्णित है, जब आप या प्रशासनिक इकाई अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित एक उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करवाते हैं, आपके बच्चे को (जब तक आप या प्रशासनिक इकाई अन्यथा सहमत नहीं हों) ALJ के निर्णय लंबित रहने तक या जैसा बताया गया है **स्कूल अधिकारी के प्राधिकार** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित निष्कासन की समय अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक परिवेश में रहना चाहिए।

<u>बच्चों के लिए सुरक्षा जो अभी स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं के लिए पात्र नहीं हैं</u>

34 CFR §300.534

सामान्य

यदि आपका बच्चा स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं के लिए पात्र निर्धारित नहीं किया गया है और विद्यार्थी आचरण संहिता का उल्लंघन करता है, परंतु प्रशासनिक इकाई को उस आचरण से पहले ज्ञान है (जैसा नीचे निर्धारित किया गया है) कि आपका बच्चा एक विकलांग है, तब आपका बच्चा इस नोटिस में वर्णित किसी भी सुरक्षा का दावा कर सकता है।

अनुशासनात्मक मामलों के लिए जानकारी का आधार

एक प्रशासनिक इकाई को इसकी जानकारी होना समझा जा सकता है कि आपका बच्चा एक विकलांग बच्चा है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होने वाले आचरण से *पहले* यदि:

1. आपने लिखित रूप में उपयुक्त शैक्षणिक एजेंसी के सुपरवाईजर या प्रशासनिक अधिकारी को, या आपके बच्चे के शिक्षक आपकी चिंता प्रकट कर दी थी कि आपके बच्चे को स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है;
2. आपने IDEA के पार्ट B के अंतर्गत स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं के लिए पात्रता हेतु मूल्यांकन करने के लिए अनुरोध किया था; **<u>या</u>**
3. आपके बच्चे के शिक्षक या प्रशासनिक इकाई के अन्या कर्मचारी ने आपके बच्चे द्वारा प्रदर्शित व्यहार के पैटर्न के बारे में चिंता को सीधे प्रशासनिक इकाई में स्पेशल एज्येकेशन के डायरेक्टर या प्रशासनिक इकाई में अन्य सुपरवाईजरी अधिकारी को प्रकट किया था।

अपवाद
एक प्रशासनिक इकाई को इसकी जानकारी नहीं होना समझा जाएगा यदि;

1. यदि आपने बच्चे के मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी है या आपने स्पेशल एज्युकेशन सेवाओं के लिए इन्कार कर दिया था; **या**
2. आपके बच्चे का मूल्यांकन किया गया और IDEA के पार्ट B अंर्तगत एक विकलांग बच्चा नहीं यमझा गया था।

लागू शर्तें यदि जानकारी का कोई आधार नहीं है

यदि आपके बच्चे के विरूद्ध अनुशासनात्मक उपाय करने से पहले एक प्रशासनिक इकाई को इसकी जानकारी नहीं है कि आपका बच्चा एक विकलांग बच्चा है, जैसा उपरोक्त **अनुशासनात्मक मामलों के लिए जानकारी का आधार** और **अपवाद** उप-शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया गया है आपका बच्चा ऐसे अनुशासनात्मक उपायों के शर्ताधीन हो सकता है जो विकलांगता रहित उन बच्चों पर लागू होता है जो तुलनात्मक आचरणों में शामिल हैं।

परंतु, यदि ऐसी समय अवधि के दौरान एक मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जाता है जब आपका बच्चा अनुशासनात्मक उपायों के शर्ताधीन है तो मूल्यांकन एक त्वरित ढंग से किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन पूरा होने तक आपका बच्चा स्कूल प्राधिकरियों द्वारा निर्धारित एक शैक्षणिक प्लेसमेंट में रहता है, जिसमें निलंबन या शैक्षणिक सेवाओं के बगैर निष्कासन शामिल हो सकते हैं।

यदि आपके बच्चे को एक विकलांग बच्चा निर्धारित किया जाता है, प्रशासनिक इकाई द्वारा किए गए मूल्यांकन की जानकारी और आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी पर विचार करते हुए प्रशासनिक इकाई को IDEA के पार्ट B अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुशासनत्मक शर्तों सहित स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिएं।

<u>कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकारियों को रेफरल और उनके द्वारा कार्रवाई</u>
34 CFR §300.535

IDEA का पार्ट B:

1. एक विकलांग बच्चे द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट उपयुक्त अधिकारियों को करने से निषेध नहीं करता है; **या**
2. एक विकलांग बच्चे द्वारा किए गए अपराध के लिए स्टेट कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को लागू फेडरल और स्टेट कानून के संबंध में उनकी दायित्वों का निर्वहन करने से वंचित नहीं करता है।

रिकॉर्ड का प्रेषण

यदि एक प्रशासनिक इकाई किसी विकलांग बच्चे द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट करती है तो प्रशासनिक इकाई:

1. सुनिश्चित करें कि बच्चे की स्पेशल एज्युकेशन और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की प्रतियां उन अधिकारियों के पास विचार करने के लिए प्रेषित की जाएं जिन्हें एजेंसी ने अपराध की रिपोर्ट की थी; **और**
2. बच्चे की स्पेशल एज्युकेशन और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की प्रतियों का प्रेषण केवल उस सीमा तक कर सकती है जिसकी फेमिली एज्युकेशनल राइट्स एण्ड प्रायवेसी एक्ट (FERPA) द्वारा अनुमति है।

माता-पिता द्वारा सार्वजनिक व्यय पर बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में एकपक्षीय प्लेसमेंट की शर्तें

<u>सामान्य</u>
34 CFR §300.148

IDEA का पार्ट B प्रशासनिक इकाई को आपके विकलांगता से पीड़ित बच्चे की एक प्रायवेट स्कूल या फेसिलिटी में शिक्षा, स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाओं सहित के लागत को आवश्यक नहीं बनाता है यदि प्रशासनिक इकाई ने आपके बच्चे के लिए एक नि:शुल्क उचित पब्लिक एज्युकेशन प्रोग्राम (FAPE) उपलब्ध करवाया था और आपने अपने बच्चे का एक प्रायवेट स्कूल या फेसिलिटी में रखने का चुनाव किया है। परंतु, जहां प्रायवेट स्कूल स्थित है उसकी प्रशासनिक इकाई को आपका बच्चा ऐसे जनसमूह में शामिल करना चाहिए जिनकी जरूरतें उन बच्चों के संबंध में पार्ट B के प्रावधानों के अंतर्गत पूरी की जाती हैं जिनके माता-पिता द्वारा उन्हें 34 CFR §§300.131 से तक 300.144 के अंतर्गत एक प्रायवेट स्कूल में रखा गया है।

प्रायवेट स्कूल में प्लेसमेंट के लिए प्रतिपूर्ति

यदि आपके बच्चे को एक प्रशासनिक इकाई के प्राधिकार के अंतर्गत पहले स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्राप्त हुई हैं, और आप प्रशासनिक इकाई की सहमति या रेफरल के बगैर आपके बच्चे का नामांकन एक प्रायवेट प्रीस्कूल, एलीमेंटरी स्कूल या सेकण्डरी स्कूल में करवाने का चुनाव करते हैं, एक कोर्ट या एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) प्रशासनिक इकाई को नामांकन के लिए आपको प्रतिपूर्ति करना आवश्यक कर सकते हैं यदि कोर्ट या ALJ को ज्ञात होता है कि उस नामांकन से पहले एजेंसी ने एक समयबद्ध ढंग से आपके बच्चे के लिए एक नि:शुल्क उचित पब्लिक एज्युकेशन (FAPE) उपलब्ध नहीं करवाया है और यह कि प्रायवेट प्लेसमेंट उचित है। एक ALJ या कोर्ट को आपका प्लेसमेंट उपयुक्त लग सकता है, चाहे प्लेसमेंट स्टेट के मानकों को पूरा नहीं करता है जो CDE और प्रशासनिक इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर लागू होते हैं।

प्रतिपूर्ति पर सीमाएं

उपरोक्त पैरा में प्रतिपूर्ति की लागत में कमी या इन्कार किया जा सकता है;

1. यदि: (a) सबसे हाल में व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम (IEP) मीटिंग जिसमें आपने अपने बच्चे पब्लिक स्कूल से निकालने से पहले भाग लिया था, आपने IEP टीम को सूचित नहीं किया कि आप अपने बच्चे के लिए प्रशासनिक इकाई द्वारा FAPE उपलब्ध करवाने के प्लेसमेंट प्रस्ताव को इन्कार कर दिया था, जिसमें आपकी चिंताएं और आपके बच्चे का सार्वजनिक व्यय पर एक पब्लिक स्कूल में नामांकन करवाने का आपका इरादे का वर्णन करना भी शामिल है; या (b) आपके बच्चे को पब्लिक स्कूल से आपके द्वारा निकालने के कम से कम 10 कार्यदिवस (कार्यदिवस में आने वाले किसी अवकाशों सहित), आपने प्रशासनिक इकाई को इस जानकारी का एक लिखित नोटिस नहीं दिया था;
2. यदि, आपके द्वारा आपके बच्चे का पब्लिक स्कूल से निकालने से पहले प्रशासनिक इकाई ने आपके बच्चे के मूल्यांकन करने के इरादे (मूल्यांकन के उद्देश्य के विवरण सहित जो उचित और तर्कसंगत था) से आपको एक लिखित पूर्व नोटिस दिया था, लेकिन आपने बच्चे को मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं करवाया; **<u>या</u>**
3. कोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर कि आपकी कार्रवाईयां अनुचित थी।

परंतु प्रतिपूर्ति की लागत में:

1. नोटिस देने में विफलता के कारण कमी या इन्कार नहीं करना चाहिए यदि: (a) प्रशासनिक इकाई ने आपको नोटिस देने से वंचित कर दिया था; (b) आपको उपरोक्त वर्णित नोटिस दिए जाने की आपकी जिम्मेदारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी; या (c) उपरोक्त शर्तों के अनुपालन करने का परिणाम में आपके बच्चे को शारीरिक नुक़सान की संभावना होती; **<u>और</u>**
2. वांछित नोटिस देने में आपकी विफलता के कारण कोर्ट या एक ALJ के विवेकनुसार कमी या इन्कार नहीं किया जा सकता यदि: (a) आप साक्षर नहीं हैं या इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं; या (b) उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का परिणाम आपके बच्चे के लिए भावनात्मक नुक़सान की संभावन के रूप में होता।■

माता-पिता के लिए संसाधन

IDEA 2004

द' इंडिवीड्युअल्स विद डिसएबिलिटी एक्ट (IDEA) एक कानून है जो पूरे देश में विकलांगता से पीड़ित बच्चों के कलए सेवाएं सुनिश्चित करता है। IDEA नियंत्रित करता है कि कैसे राज्य और पब्लिक एजेंसियां विकलांगता से पीड़ित 6.5 मिलीयन ये अधिक नवजातों, शिशुओं, बच्चों और युवाओं को आरंभिक हस्तक्षेप, स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं।
विकलांगता से पीड़ित नवजात और शिशु (जन्म-2) और उनके परिवार IDEA के पार्अ C के अंतर्गत आरंभिक हस्तेक्ष सेवाएं प्राप्त करते हैं। बच्चे और युवा (आयु 3-21) IDEA के पार्ट B के अंतर्गत स्पेशल एज्युकेशन और संबंधित सेवाएं प्राप्त करते हैं।
http://idea.ed.gov/

कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन

द' एक्सेपशनल स्टुडेंट लीडरशिप यूनिट वेबसाइट शिक्षकों, प्रशासकों, माता-पिता और विकलांगता के कारण असाधारण शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों, दैविया उपहार, अनूठी प्रतिभा वाले बच्चों या इंग्लिश भाषा सीखने वाले विशेष आवश्यकाता वाले लोगों के लिए एक संसाधन है।

Colorado Department of Education, Exceptional Student Leadership Unit, Office of Dispute Resolution,
1560 Broadway, Suite 1175, Denver, CO 80202
www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp
303-866-6694

द' स्पेशल एज्युकेशन लॉ वेब पेज को आपके लिए कोलोराडो स्पेशल एज्युकेशन कानून के बारे में जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस साइट से आप स्पेशल एज्युकेशन लॉ ब्रोशार और उचित प्रक्रिया सुनवाईयों और फेडरल शिकायतों के निर्णयों को खोजकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द' एक्सपेशनल चिल्ड्रेन्स एज्युकेशन एक्ट के नियमों —हमारे स्टेट स्पेशल एज्येकेशन नियमों की एक प्रति भी डाउनलोड कर सकते हैं।
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm

अर्ली चाइल्डहुड कनेक्शन्स

अर्ली चाइल्डहुड कनेक्शन्स कोलोराडो का इंडिवीड्युअल्स विद डिसएबिलिटी एक्ट के अंतर्गत एक नवजात और शिशुओं के लिए प्रयास है। अर्ली चाइल्डहुड कनेक्शन्स एक परस्पर समन्वय प्रयास है। क्रियान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी कोलोराडो ऑफ ह्युमन सर्विसेज है।
www.earlychildhoodconnections.org
1-877-777-4041

PEAK पेरेंट सेंटर

PEAK पेरेंट सेंटर कोलोराडो का फेडरल स्तर पर निर्धारित माता-पिता प्रशिक्षण और जानकारी केंद्र (PTI) है। PEAK परिवारों और अन्य लोगों की टेलीफोन हॉटलाइन, वर्कशॉप, कांफ्रेंसों, वेबसाइट और पब्लिकेशन के माध्यम से सहायता करता है। एक PTI के रूप में PEAK पेरेंट से पेरेंट सहायता की पेशकश करता है, लेकिन यह समूह मीटिंग आयोजित नहीं करता है। हम परिवारों के साथ एक के साथ एक आधर पर कार्य करते हैं और राज्य की सरकार तथा शिक्षा, पुर्नवास और चिकित्सा समुदायों के साथ सिस्अम को बदलने के लिए कार्य करते हैं जो बच्चों के लिए परिणामों में सुधार करता है।
www.peakparent.org
1-800-284-0251

द' लीगल सेंटर फॉर पीपल विद डिसएबिलिटी एण्ड ओल्डर पीपल

द' लीगल सेंटर एक स्वतंत्र लोक हितकारी गैर लाभ आधारित है जिसे सिविल अधिकारों और भेदभाव के मामलों में विशेषज्ञ है। हम पूरे कोलोराडो में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों, HIV से पीड़ित लोगों और बुजुर्ग लोगों के मानवीय, सिविल और कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हैं।
www.thelegalcenter.org
1-800-288-1376